सम्पादक

डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

सहायक

मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय

मासिक सच्चा राही

मजलिसे सहाफ़त व नशरियात

पो0 बॉ0 नं0 93

नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ

फोन : 0522–2740406

फैक्स : 0522–2741221

E-mail : nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 12/-
वार्षिक	₹ 120/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यू.एस. डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें

"सच्चा राही"

पता

सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात

नदवतुल उलमा, लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक

सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक — लखनऊ

अक्तूबर, 2012 वर्ष 11 अंक 08

ख़लीलुल्लाह (अ0)

हज़रत ख़लीलुल्लाह ने बेटे से यह कहा
देखा है मैंने ख़्वाब तुम्हें ज़ब्ह करता हूँ
कहते हो क्या इस ख़्वाब पे दो राय तुम मुझे
यह जानने को ख़्वाब मैं यह ज़िक्र करता हूँ
रब का मेरे यह हुक्म है तो चूँ चेरा कहाँ
इस इम्तिहां पे अब्बा मैं तो सब्र करता हूँ
यह हुक्मे रब जो आया है तो कीजिए अदा
मैं हुक्म की अदाएगी पे शुक्र करता हूँ
फेरी छुरी ख़लील ने बेटे की हल्क़ पे
मेंढा ज़बीह देख कहा हम्द करता हूँ
उम्मत नबी की करती है क़ुर्बान जानवर
सुन्नते ख़लील की मैं क़द्र करता हूँ

अस्सलातु वस्सलामु अ़ला ह़बीबिल्लाह व ख़लीलिल्लाह

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या गोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

क़ुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
हज़रत खलीलुल्लाह अ0 का ख़्वाब	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	6
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	9
हाजियों के सफर का ज़िक्र	इदारा	10
परदे के आदेश और उसके लाभ	मौलाना मुहम्मद हमजा हसनी नदवी	12
कुर्बानी के मसाएल	फौज़िया सिद्दीक़ा	15
इस्लाम विरोधी प्रश्नों के उत्तर	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	19
समाज सुधार हमारी कोशिश	मौ0 मुहम्मद तकी उसमानी	21
अश्लील कर्मों से बचने की	मौ0 सैय्यद हामिद अली	23
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी	26
अरब भूगोल वेत्ता अल–बैरूनी	डॉ0 इसपाक अली	29
ज़ब्ह का तरीक़ा	मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी	32
मुसीबत और परेशानी का इलाज	क़ारी सिद्दीक़ अहमद बांदवी	35
कुछ इस्लामिक माप तथा बाटों	इदारा	37
हमारी गफ़लत और बद अमली	तसनीम फात्मा	38
इस तरह तलाक़ न हुई	ज़हीर नियाज़ी रोहतासी	39
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ नदवी	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

अनुवाद :-

फिर जब वह लड़का ऐसी उम्र को पहुँच गया कि इब्राहीम के साथ दौड़ने यानी चलने–फिरने और हाथ बटाने लगा तो इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे बेटे! मैं ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझको ज़ब्ह कर रहा हूँ, सो तू भी ग़ौर कर ले कि तेरी क्या राय है? लड़के ने कहा "ऐ मेरे अब्बा! जो हुक्म आपको दिया गया है उसे कर डालिए, इन्शाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे[102]। फिर जब दोनों बाप–बेटे हुक्म की बजा आवरी पर तैयार हो गये और बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया[103]। और हमने इब्राहीम अ० को यह कह कर पुकारा कि इब्राहीम अ०[104] तूने ख़्वाब को पूरी तरह सच कर दिखाया, हम नेक काम करने वालों को यूंही बदला दिया करते हैं[105]। बिला शुब्ह हुआ इम्तिहान[106]। और हमने एक बड़ा ज़बीहा उस लड़के के फ़िद्या में दिया[107]।

तफ्सीर (व्याख्या):-

1. फिर जब वह लड़का ऐसी उम्र को पहुँच गया कि इब्राहीम के साथ दौड़ने यानी चलने–फिरने और हाथ बटाने लगा तो इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे बेटे! मैं ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझको ज़ब्ह कर रहा हूँ सो तू भी ग़ौर कर ले कि तेरी क्या राय है। लड़के ने कहा "ऐ मेरे अब्बा! जो हुक्म आपको दिया गया है उसे कर डालिए, इन्शाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगें। सई के माने में कई क़ौल हैं, एक यह कि मर्दों के से काम करने लगे तो शायद उम्र तेरह साल हो और एक यह कि दौड़ने–चलने लगे तो उम्र सात साल की हो। एक यह कि इबादते इलाही में ख़ूब कोशिश और जिद्दो जुहद करने लगे तो शायद बालिग़ हों। बहर हाल मुफ़स्सिरीन के तीन क़ौल हैं, बाज हज़रात मुतरज्जिमीन ने यहां सई से मुराद मक़ामे सई और मौज़ा सई लिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से एक क़ौल मरवी है कि इसकी बिना पर सई से मुराद मौज़ा सई लिया गया है और यह फरमाया कि जो हुक्म हुआ है वह कर डालिए। यह शायद फिरासत से समझा हो कि पैग़म्बर का ख़्वाब बमन्ज़िला "वही" होता है या शायद इब्राहीम अ0 ने कहा हो कि मैं अल्लाह के हुक्म से ज़ब्ह कर रहा हूं, और बेटे से मशवरह इसलिए ना था कि अगर वह इन्कार कर दें तो इब्राहीम उसके ज़ब्ह से बाज़ आ जाएं बल्कि यह मालूम करने की ग़र्ज़ से पूछा कि इस्माईल घबराता है या खन्दा पेशानी से मेरे ख़्वाब का इस्तिक़बाल करता है।

2. फिर ज़ब दोनों बाप

शेष पृष्ठ..........8 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अ़ला कुल्लि मुसलिमिन (हदीस) अनुवादः इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज़ है।

तशरीह (व्याख्या)-

इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज़ है चाहे वह मर्द हो या औरत। अल्लाह तआला ने इतने उलूम पैदा फरमाए हैं कि उन का गिनना बहुत मुश्किल है। जैसे अदब (साहित्य) का इल्म, हिसाब (गणित) का इल्म, तारीख (इतिहास) का इल्म, जुगराफिया (भुगोल) का इल्म, साइंस (विज्ञान) का इल्म, इलाज का इल्म, फिर उसमें एलोपैथी, होमियोपैथी, युनानी, आयुर्वेद और दूसरे इल्म जैसे बढ़ई गीरी, लुहारी, सुनारी आदि ना जाने कितने प्रकार के इल्म हैं।

लेकिन हदीस में इल्म से मुराद दीन का इल्म है। फिर दीन के इल्म भी दो तरह के हैं, पूरे दीन का इल्म यानी 23 वर्षों में अल्लाह के नबी ने उम्मत को जो सिखाया उस सब का इल्म, पूरे कुर्आन का इल्म, सारी हदीसों का इल्म। कुर्आन अरबी ज़बान में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी हदीसें अरबी में हैं, जब कि मुसलमान सारी दुनिया में फैले हुए हैं जिनकी ज़बान अरबी नहीं है तो सारे मुसलमान पूरे कुर्आन का और सभी हदीसों का इल्म हासिल नहीं कर सकते, अतः हदीस में जो इल्म हर मुसलमान पर फर्ज़ बताया गया है वह पूरा दीन नहीं है बल्कि दीन का वह इल्म है जो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जिस इल्म के बिना एक मुसलमान, मुसलमान नहीं रह सकता जिसे हम ज़रूरियाते दीन का इल्म कहते हैं, बस वह इल्म हर मुसलमान पर फर्ज़ है।

हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह कल्म—ए—शहादत अरबी में पढ़ सके और उसके माना और उसके तकाज़ों को जाने, वह ईमाने मुजमल और ईमाने मुफस्सल को समझे। वह कहे कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर उसकी उतारी हुई किताबों पर, उसके सभी रसूलों पर, कियामत के दिन पर और तकदीर पर कि अच्छी हो या बुरी, वह अल्लाह तआला की तरफ से है। इन सब की ज़रूरी तफसीलात का जानना भी ज़रूरी है। वह जाने कि पांच वक्त की नमाजें फर्ज़ हैं, माल पर ज़कात फर्ज़ है, रमजान के रोज़े फर्ज़ हैं और अगर मक्का मुकर्रमा जाने—आने की इस्तिताअत (क्षमता) रखता है तो जिन्दगी में एक बार हज फर्ज़ है। नमाज़ पढ़ने के लिए पाकी ज़रूरी है, लिहाज़ा पाकी—नापाकी का इल्म हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि पाकी—नापाकी दो तरह की होती है, हुक्मी (आदेशिक),

हकीक़ी (वास्तविक)। हकीक़ी नापाकी जैसे पाखाना, पेशाब, खून, शराब आदि। फ़िर कोई नजासत बदन पे या कपड़े में लग जाए तो उसे कैसे दूर करके पाक हुआ जाए। हुक्मी नापाकी जैसे कब गुस्ल फर्ज़ होता है और फिर गुस्ल कैसे किया जाता है। वुजू क्या है कैसे किया जाता है और वुजू कब टूट जाता है। तयम्मुम कब और कैसे किया जाता है वग़ैरह।

नमाज़ के वक़्तों का इल्म, अजान का इल्म, इकामत का इल्म, हर वक्त की नमाज़ में फर्ज़ कितने, सुन्नतें कितनी वगैरह। फिर नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्आने मजीद की कुछ सूरतों का ज़बानी याद करना, नमाज़ पढ़े जाने वाले अजकार व तस्बीहात का याद करना, तशहहुद यानी अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा ज़बानी याद हो, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा मालूम हो, वित्र पढ़ने के लिए दुआएं कुनूत याद हो। नमाज़े जनाज़ा की दुआएं और उसके पढ़ने का तरीक़ा मालूम हो। नमाज़ हर मुसलमान पर फर्ज़ है लिहाजा नमाज़ से मुतअल्लिक़ तमाम बातों का इल्म हर मुसलमान पर फर्ज़ है।

रोज़ा हर आकिल–बालिग़ मुसलमान पर फर्ज़ है। लिहाज़ा रमज़ान का चाँद देखना अगर मतला साफ न हो तो उसकी गवाही का हासिल करना, इफ़्तार व सहरी के औक़ात जानना, रोज़े की नीयत कब और कैसे की जाती है इसका इल्म होना, रोज़े में किन–किन बातों से बचना ज़रूरी है, रोज़ा किस बात से टूट जाता है, रोज़ा टूटने या तोड़ने पर कब कज़ा लाज़िम होती है और कब कफ़्फ़ारा देना पड़ता है। कफ़्फ़ारा किस तरह अदा किया जाता है वगैरह का इल्म हर मुसलमाना के लिए ज़रूरी है, ताकि व रमज़ान के फर्ज़ रोज़े सही तौर पर रख सके। ईद और बकरईद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है इसका इल्म भी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है।

मुसलमान कब साहिबे निसाब (मालदार) होता है और उस पर कब ज़कात फर्ज़ होती है, ज़कात कब और किस हिसाब से निकाली जाती है और किस को दी जाती है। ईद में फित्रे का सदक़ा किस पर वाजिब होता है और कितना वाजिब होता है और किसको दिया जाता है। बकरईद में कुर्बानी किस पर वाजिब होती है, किन–किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है, बड़े जानवर में कितने हिस्से हो सकते हैं यह सब हर मुसलमाना के इल्म में होना चाहिए, चाहे वह मालदार हो या न हो, कल को वह मालदार हो सकता है, नीज मालदारों को मसअला बता सकता है।

जो लोग बड़ी तादाद में भेंड़–बकरियां पालते हैं उनको उनकी ज़कात का मसअला मालूम होना चाहिए। जो लोग तिजारत करते हैं उनको तिजारती माल पर जकात निकालने का मसअला मालूम होना चाहिए। जो लोग खेती करते हैं उनको खेती की पैदावार पर उश्र और आधा उश्र निकालने का मसअला जानना ज़रूरी है।

शेष पृष्ठ..........14 पर

हज़रत ख़लीलुल्लाह अ0 का ख़्वाब

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

ख़लीलुल्लाह से मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया— अनुवादः क्या लोग समझते हैं कि वह कहें कि हम ईमान लाए फिर वह ऐसे ही छोड़ दिये जाएं उनको जाँचा न जाए। (मफहूम आयत नं0 2 सूर—ए—अनकबूत) तमाम इन्सानों में अंबिया अ0 अल्लाह तआला को ज़्यादा मक़बूल हैं, चुनांचि उनकी जांच भी आम इंसानों से अधिक और कड़ी रही, यह इसलिए भी ताकि ईमान वाले जांचे जाएं तो उनके सामने नबियों की जांच. का नमूना रहे और उससे उनको तसल्ली हो।

हज़रत इब्राहीम अ0 की जांच भी तरह—तरह से हुई। जब बाप को तौहीद की दावत दी तो बाप आग बगूला हो गया और पत्थरों से मारने की धमकी दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को छोड़ दिया, अलग हो गये, वक्त के बादशाह ने तौहीद से हटाना चाहा तो आप वहां भी हक पर जमे रहे और खुदाई का दावा करने वाले नमरूद से कहा कि अगर तुम खुदा हो तो हमारा खुदा तो सूरज पूरब से निकालता है तुम पश्चिम से निकाल दो, बादशाह हैरान रह गया और कोई जवाब न दे सका। ऐसा लगता है कि आग में डाले जाने वाला वाकिआ इसके बाद का है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौक़ा पाकर बुत तोड़ डाले तो कौम और बादशाह ने आग में डालने का फैसला किया। आग के बड़े अलाव में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग ठण्डी हो गई। इतना बड़ा मुअ़जिज़ा लोगों ने देखा मगर उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ईमान न लाया। इस्राईली रिवायात से पता चलता है कि जब यह आग का वाकिआ हुआ तो आप नौजवान 16 या 17 वर्ष के थे। आप अब भी हिम्मत न हारे, क़ौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, यह सिलसिला आपकी 80 वर्ष की आयु से ज़्यादा चलता रहा। आखिर आप को शाम की हिजरत का हुक्म हो गया। हज़रत सारा से आपका निकाह कब हुआ इसका साफ ज़िक्र नहीं मिलता, लेकिन हिजरत में सारा आपके साथ थीं और वह ईमान वाली थीं। यह भी साफ ज़िक्र नहीं मिलता कि आप के भतीजे लूत अलैहिस्समाल ने आपके साथ हिजरत की या आगे—पीछे।

इस हिजरत के सफर में फिर एक अहम इम्तिहान हुआ। मिस्र के ज़ालिम बादशाह ने हज़रत सारा को पकड़वा लिया, लेकिन वहां भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मोअ़जिज़ा और हज़रत सारा की करामत जाहिर हुई। बादशाह हज़रत सारा के साथ कोई बुराई न कर सका बल्कि मांफी मांगी और हदिये (उपहार) के तौर पर अपनी एक बांदी हाजर (हाजिरा) को पेश किया। हज़रत सारा हज़रत

इब्राहीम के पास हज़रत हाजिरा को लेकर आईं और हज़रत इब्राहीम हज़रत सारा और हाजिरा के साथ शाम आ गये।

हज़रत सारा की कोई औलाद न थी, हज़रत सारा ने हज़रत हाजिरा को हज़रत इब्राहीम को हदिया कर दिया। उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। कुछ दिनों बाद हज़रत हाजिरा ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। फिर सख़्त आजमाइश हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ कि हज़रत हाजिरा और उनके बेटे हज़रत इस्माईल को मक्के की सूखी घाटी में छोड़ आयें। अल्लाह वाले किसी हुक्म को बजा लाने में हिचकिचाते नहीं, उन्होंने हज़रत हाजिरा और दूध पीते इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के की सूखी घाटी में पहुंचा दिया, फिर यहां क्या हुआ इसका यहां मौका नहीं। हज़रत इस्माईल पलते–बढ़ते रहे, जब–तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखने पहुंच जाते, यहां तक कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम 15 वर्ष के हो गये तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ। यह बताना रह गया कि हज़रत इस्माईल की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र 86 वर्ष की थी।

हज़रत इब्राहीम अ0 ने ख़्वाब देखा कि वह बेटे को ज़ब्ह कर रहे हैं। नबियों के ख़्वाब सच्चे होते हैं, वह समझ गये कि बेटे की कुर्बानी का हुक्म है। बेटे को ख़्वाब सुनाया, बेटा भी तो नबी था या नबी होने वाला था, ऐसा लगता है कि बाप छुरी और रस्सी छुपा कर बेटे को साथ लेकर मिना पहुंच गये और वहीं अपना ख़्वाब बेटे को सुनाया, बेटा राजी हो गया, रस्सी से हाथ–पैर बांध कर छुरी चला दी गई, कुछ रिवायात में आता है कि जब ज़ब्ह करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँख की पट्टी खोली तो हज़रत इस्माईल अलग खड़े थे और एक मेंढा ज़ब्ह किया हुआ पड़ा था, और बाज़ रिवायात में आता है कि छुरी न चल सकी और आवाज़ आई की तुम ने अपना ख़्वाब सच कर दिया, अब इस्माईल की जगह यह जन्नती मेंढ़ा ज़ब्ह करो, और आपने मेंढ़ा ज़ब्ह कर दिया।

हमारी शरीअत में इस यादगार को इस तरह बाकी रखा गया कि हर मालदार पर 10 से 12 जिलहिज्ज के बीच जानवर कुर्बानी करना ज़रूरी किया गया। चुनांचे हर मालदार इन दिनों में कुर्बानी करता है, कुर्बानी का गोश्त खाता और ढेर सा सवाब लेकर खुशियां मनाता है। खुशी इस बात की भी कि अल्लाह तआला ने हज़रत इस्माईल का बदल खुद भेज दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िन्दा रखा, इसमें यह मसलहत भी छुपी थी कि आपकी नस्ल में आखिरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आना था।

हज़रत इब्राहीम अलै0 तमाम आज़माइशों में खरे उतरे और अल्लाह तआला ने आप को अपना मुख्लिस दोस्त बना लिया "वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला"

(सूर–ए– निसा आयत न0 125)

यहां यह बात भी सोचने के लायक है कि यह ख़्वाब क्या है उसको कैसे अलग से एक जिस्म मिल जाता है, फिर वह जिस्म देखता भी है, सुनता भी है, सोचता भी है और हर तरह के अमल करता है। मैं समझता हूँ कि ख़्वाब आलमे बरज़ख की निशानी है, जो जिस्म कब्र में है वह मुअत्तल है, दूसरे जिस्म के साथ सवाब व अजाब का मंज़र सामने रहता है, ता कियामत इसी तरह होता रहेगा। फिर कियामत में हश्र में अस्ल जिस्म के साथ बन्दा हाजिर होगा। हम सबको चाहिए कि हश्र के अजाब से अल्लाह की पनाह माँगें और नेक आमाल से उसकी तैयारी करें। ❑❑

कुर्आन की शिक्षा...............:

बेटा तअ़मीले हुक्म के लिए आमादा हो गये और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, यानी इब्राहीम अ0 और इस्माईल अ0 ने अमरे इलाही को तस्लीम कर लिया और बाप ज़ब्ह करने और बेटा ज़ब्ह होने को आमादा हो गया। और बाप ने बेटे को इस मस्लिहत से पेशानी के बल लिटा दिया कि मबादा बेटे की सूरत देख कर अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी में कुछ कोताही न हो जाये। बाज़ कहते हैं कि यह तदबीर इस्माईल अ0 ने ही बताई थी। बहर हाल लिटाने के बाद चाहते थे कि गले पर इस्माईल के छुरी फ़ेर दें।

3. और हमने इब्राहीम को यह कहकर पुकारा कि ऐ इब्राहीम अ0! तुमने ख़्वाब को पूरी तरह सच कर दिखाया कि बिला शुब्ह हम नेक और मुख़्लिसीन को इसी तरह सिला दिया करते हैं। यानी जब छुरी चलानी चाहिए थी उस वक्त आलमे बाला के मलाईका पर क्या गुज़री और ज़मीन व आसमान पर क्या बीती। बहर हाल उन दोनों की कुर्बानियों को हमने कुबूल कर लिया और इब्राहीम को पुकार कर कहा, ऐ इब्राहीम! तूने अपने ख़्वाब को सच्चा कर दिया। हम मुख़्लिसीन को इसी तरह सिला दिया करते हैं कि दोनों आलम में उनको भलाई मिलती है। हज़रत शाह साहब फरमाते हैं यानी ऐसे मुश्किल हुक्म करके आज़माते हैं फिर उनको क़ायम रखते हैं तब दरजे बुलन्द होते हैं।

4. बिला शुब्ह यह काम था भी एक खुला और सरीह इम्तिहान और आज़माइश थी कि जिसको मुख़्लिसीन ही पूरा कर सकते हैं। ऐसे सख़्त इम्तिहान में पूरा उतरना हर एक के बस का काम नहीं।

5. और हमने एक बड़ा ज़बीहा उस लड़के के फिद्या में दिया। हज़रत शाह साहब फरमाते हैं यानी दुम्बा बहिश्त से आया पर हज़रत इब्राहीम अ0 ने अपनी आंखें पट्टी से बांध कर छुरी चलाई ज़ोर से, अल्लाह के हुक्म से गला कटा, जिब्रील अ0 ने बेटे को हटा दिया और एक दुम्बा रख दिया। आँखें खोलीं तो दुम्बा ज़ब्ह पड़ा था। खुलासा यह है कि ज़ब्ह को अज़ीम फरमाया तो अज़ीमुल जुस्सा मुराद है या अज़ीमुल मरतबत। यह वाक़िआ मिना में पेश आया जहां आज भी हाजी कुर्बानियां करते हैं।

(कशफुर्रहमान) ❑❑

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी —अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

गज़्व-ए-बदर, कुफ़्फ़ार और मुसलमानों के बीच पहला युद्ध-

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 16वें महीने यह ख़बर मिली कि कुरैश की एक जमाअत शाम के रास्ते पर जा रही है जो कुफ़्फ़ार के जंगी नेता अबू सुफ़ियान के नेतृत्व में है और कुरैश की ताक़त को बढ़ाने का सामान करने की नीयत रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमाअत के साथ उसका पीछा किया और "यंबू" के करीब एक मुकाम तक पहुंच गये, लेकिन वह लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने से पहले निकल गये। उसी जमाअ़त के जब शाम से वापस होने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पीछा करने के लिए मुसलमानों की एक तअ़दाद ले कर निकले, आपके निकलने की इत्तिला मिलने पर कुरैश की एक जमाअ़त ने फौरन मक्का इत्तिला भेज दी और वहां से खुसूसी मदद तलब की। मुसलमान उनका पीछा करने में "बदर" के करीब तक पहुँचे, वह जमाअ़त उनके पहुँचने तक वहाँ से आगे निकल चुकी थी, मुसलमान वापस मदीना आने का इरादा कर रहे थे कि आपको इत्तिला मिली कि मक्के वालों ने मुसलमानों से बाकाएदा जंग के इरादे से जबरदस्त तैयारी के साथ फौज रवाना कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया, आपके साथ सिर्फ 313 लोग थे जो हकीक़त में कुरैश की शाम जाने वाली जमाअत के लिए काफी समझते हुए साथ ले गये थे, बाकाएदा लड़ाई की नियत से नहीं लाये गये थे और चूंकि दुश्मन की बाकाएदा फौज की आमद का मसला आ गया था तो मशवरे की ज़रूरत थी कि कुरैश की आने वाली फौज का सामना किया जाये, ताकि यह न समझा जाये कि मुसलमानों ने बुज़दिली दिखाई और रणभूमि से भाग गये या उनके पहुंचने से पहले ही मदीना जल्दी लौट जाया जाये ताकि बाकाएदा जंग की ज़रूरत न पड़े, लेकिन मशवरा यही हुआ कि अब जब कि दुश्मन बाकाएदा लड़ने के लिए आ रहा है तो यहां से लौट जाना फरार समझा जायेगा और ज़िल्लत (अपमान) होगी, लिहाज़ा अब जो हो सो हो, उसको देख लिया जाये। यही वाक़िआ "बदर" का वाक़िआ कहलाया। जो बाकाएदा भरपूर जंग की सूरत में पेश आया[1]। कुरैश की ताकत पूरी तरह मुसल्लह (सशस्त्र) थी और एक हज़ार के लगभग फौज थी और मुसलमानों की तादाद उनके मुकाबले में एक तिहाई थी लेकिन मुसलमानों को

---

1. सीरते इब्ने हिशाम 1/606, सीरत इब्ने इसहाक़ 1/383–387, जादुल मआद 3/342

शेष ... .13 पर

हाजियों के सफर का ज़िक्र

—इदारा

हमारे मुल्क हिन्दुस्तान से चाहे कोई हज कमेटी से हज को जाए या किसी ट्रेवल कम्पनी के जरिए, आम तौर से 45 दिनों का वीज़ा मिलता है। सऊदी हुकूमत हर हाजी के लिए हज के साथ मदीना मुनव्वरा की जियारत की सुहूलत भी देती है।

हज की हवाई उड़ानें आखिरी शव्वाल से शुरु हो जाती हैं। शुरु की उड़ानें सीधे मदीना मुनव्वरा ले जाई जाती हैं, वहां हाजियों को कम से कम आठ रोज़ कियाम का मौका दिया जाता है, इस तरह कि हर हाजी मस्जिदे नबवी में 40 फर्ज़ नमाजें अदा कर सके। बहुत से हाजी मस्जिदे नबवी में आठों रोज़ फर्ज़ नमाजों के साथ सुन्नत और नफ्ल नमाज़ें भी खूब पढ़ते हैं, तहज्जुद और इशराक़ भी एहतिमाम से पढ़ते हैं, क़ुर्आन मजीद की तिलावत करते हैं और रौज़े पर हाजिर हो कर खूब सलाम पेश करते हैं, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते हैं और मदीना तय्यिबा के औकात की पूरी कद्र करते हुए खूब सवाब लूटते हैं।

नवें रोज़ मक्का मुकर्रमा रवाना होते हैं, मदीने से थोड़ी दूर पर बिअरे अली मकाम है, यह मदीना वालों की मीकात है, यहां हुकूमत ने बड़ी तादाद में गुस्ल खाने और पाखाने बनवा रखे हैं, मर्दों के अलग औरतों के अलग, यहां हाजी लोग नहा—धोकर दो चादरें पहन लेते हैं औरतें अपने लिबास में रहती हैं। फिर मस्जिद में दो रकअत नमाज पढ़ कर उम्रे की नीयत करके तलबिया पढ़ते हैं, मर्द तलबिया जोर से पढ़ते हैं, औरतें आहिस्ता, मर्द सर खोल देते हैं और औरतें भी चेहरा खोल देती हैं, अब मर्द को जब तक उम्रा न कर ले सर ढाकना मना और औरतों को चेहरे पर कपड़ा डालना मना है, किसी अजनबी से चेहरा छुपाने के लिए पंखे वगैरह से आड़ कर लेती हैं। अब हाजी लोग एहराम में हैं, एहराम के बिना न उम्रा हो सकता है न हज। एहराम की हालत में मर्द सिला कपड़ा नहीं पहन सकते, औरतें पहनेंगी, खुशबू का इस्तेमाल भी मना है, बाल न काट सकते हैं न उखाड़ सकते हैं, न नाखून काट सकते हैं न जुएं मार सकते हैं, न कोई और जानवर। अलबत्ता सांप—बिच्छू मार सकते हैं, मियाँ बीवी का मिलाप तो सख़्त मना है।

बिअरे अली से हाजियों का काफिला मक्का मुकर्रमा रवाना होता है, सब तलबिया पढ़ते रहते हैं, नमाजें अदा करते 8,9 घंटों में मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं, कियाम गाह पर सामान रख कर हस्बे सुहूलत हरम शरीफ में हाजिर होते हैं, काबे शरीफ को देख कर खूब दुआएं करते हैं। हर मस्जिद में दाखिल हो कर दो रकअत नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन हरम शरीफ में दाखिल होकर तवाफ किया जाता है, काबा शरीफ चौकोर इमारत है, उस पर काला रेशमी पर्दा पड़ा हुआ

है, पूरब मुंह को उस का दरवाज़ा है जो सोने का है, इसके दरवाज़े और पल्ले में ढ़ाई कुन्टल सोना लगा है।

दक्खिन–पूरब के कोने पर हज्रे असवद है, काबे के चारों तरफ खासा मैदान है इसको मताफ (तवाफ करने की जगह) कहते हैं। हज्रे असवद के पास से उसकी सीध से हाजी तवाफ की नीयत से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह कर इस्तिलाम करता है, वह अगर करीब हुआ तो हज्र को छू कर हाथ चूम लेता है और अगर दूर हुआ तो सिर्फ हज्र की तरफ हाथ उठा कर तवाफ शुरु कर देता है और लब्बैक कहना बन्द कर देता है और काबा के गिर्द सात चक्कर लगाता है, हर चक्कर में हज्र के सामने इस्तिलाम करता है और हर चक्कर में खूब दुआएं करता है। फिर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर ज़मज़म का पानी पीता है, फिर सफा पहाड़ी पर जा कर चौथा कलमा पढ़ कर सई शुरु करता है। सफा से मरवा तक 600 मीटर है। सफा से मरवा तक जाना एक शोत (चक्कर) कहलाता है। सफा–मरवा के बीच दो हरी बत्तियाँ हैं उनमें मर्द दौड़ कर चलते हैं मगर औरतें आहिस्ता। इस तरह हाजी सफा से मरवा फिर मरवा से सफा, यह दो चक्कर हुए, सात चक्कर पूरे करता है जो मरवा पर खत्म होते हैं। सई में भी खूब दुआएं की जाती हैं। अब हाजी का उमरा पूरा हो गया। बाहर निकल कर बाल कटवाता है या मुंडवाता है, औरतें कुल बाल से एक अंगुल बाल खुद काट लेती हैं। इस तरह हाजी हलाल हो जाता है यानी एहराम से बाहर आ जाता है और आम कपड़े पहन लेता है। हाजी का उम्रा हो गया। अब अपनी कियाम गाह पर कियाम करता है और अल्लाह जैसी तौफीक़ दे रोजाना हरम में हाजिरी देता है, तवाफ करता और नमाजें पढ़ता है।

खुशनसीब हाजी मक्का मुकर्रमा के कयाम में ज़्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजारते हैं फिर 8 जिलहिज्जा को नहा धोकर या कम से कम वुजु करके 2 चादरें पहन लेते हैं, औरतें अपने कपड़े में रहती हैं, फिर 2 रकअ़त नमाज़ पढ़ कर हज की नीयत करके मर्द ज़ोर से और औरतें आहिस्ता तलबिया पढ़ती हैं। मर्द सर खोल देते हैं और औरतें चेहरा। यह हज का एहराम है। पहले की तरह एहराम की पाबन्दियाँ हैं। अब सब हाजी मिना जाते हैं, जुह्र, अस्र, मगरिब, इशा और 9 की फज्र मिना में पढ़ते हैं, फिर 9 को सब हाजी तलबिया पढ़ते हुए अरफात जाते हैं, अरफात में जुह्र व अस्र जुह्र के वक्त में एक साथ पढ़ते हैं। मगरिब तक सब लोग दुआएं करते रहते हैं, मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़े बगैर मुज़दल्फा आते हैं। यहां मगरिब व इशा एक साथ पढ़ते हैं फिर रात भर दुआएं करते हैं और फज्र की नमाज़ पढ़ कर 50 कंकरियाँ चुन कर मिना वापस आते हैं। अब सब लोग बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने जाते हैं और तलबिया पढ़ना बन्द करके एक–एक करके उसको 7 कंकरियाँ मारते हैं फिर वापस

शेष पृष्ठ...........14 पर

परदे का आदेश और उसके लाभ

—अनुवादः आसिया अंसारी —मौलाना सैय्यद मुहम्मद हमजा हसनी नदवी

मुसलमान औरत को इसका साफ और इस्लामी हुक्म है कि वह गैर महरम मर्दों के इख़्तिलात और मेल जोल से बचें और इन तमाम कामों से हिफाजत के लिए बनाव—श्रृंगार और बन—ठन कर निकलने को सख़्ती के साथ मना किया गया है। यहाँ तक कि आदेश यह है कि वह अपनी निगाहों को नीची रखें, कुर्आन करीम ने इसका विस्तारपूर्वक मार्ग दर्शन किया है और बिला किसी कारण के हुक्म दिया है— अनुवादः और फरमा दीजिए मुसलमान औरतों से कि वह अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी श्रृंगार की जगहों को ज़ाहिर न करें, मगर जो खुली ही रहती हैं (जिसके छिपाने में हर्ज है) और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रहें)।

इसमें कोई शक नहीं कि अगर इसी एक हुक्म पर अमल किया जाता तो आज बेहयाई के जो मनाज़िर दिखाई देते हैं उनका नामों निशान तक न होता और आज़ादी व बेबाकी परवरिश न पाती। इतिहास गवाह है कि जिस ज़माने तक मुसलमान मर्दों और औरतों ने इस आदेश का सख्ती से पालन किया तो पूरे मुल्क में एक भी हादसा ऐसा पेश न आया जिसे बेहयाई कहा जा सकता और सिर्फ यही नहीं कि कोई बुराई में मुब्तिला होता बल्कि किसी की यह हिम्मत तक न होती कि वह किसी औरत की तरफ बुरी नज़र उठा सके, और आज भी जिन मुसलमान मुल्कों में हया व पाकदामनी का यह शेआर क़ायम है, वहाँ बरसों गुज़र जाते हैं, मगर किसी औरत की बेआबरू का एक वाक़या भी पेश नहीं आता। लेकिन कुछ मुल्कों के अलावा हर मुल्क में बेहिजाबी की मुनज़्ज़म तहरीकें चलाई गई और उन पाकबाज़ बीबियों को (जिन को निगाह तक नीची रखने का हुक्म है) आवारह फिरने और गै़र मर्दों से इख़्तिलात की तलकीन की गई, इसके लिए ऐसे दिलकश अन्दाज़ और दिलआवेज़ तरीक़े इख़्तियार किये गये और चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया गया कि हिजाब फरसूदह और नाकाबिले अमल तरीका समझा जाने लगा। वह मुसलमान खानदान जो नई तअ़लीम से आरास्ता थे और यूरोपियन तहज़ीब व तमद्दुन के दिलदादह थे , वह हिजाब व नकाब को बाइसे शर्म समझने लगे। गै़र मर्दों और गै़र औरतों का इख़्तिलात, दोस्ती और बेतकल्लुफी, रक़्स व सुरूर, जिस्मों की आराइश व ज़ेबाइश मुख़्तलिफ तरीक़ों से उनका इज़हार ऐन तरक़्क़ी याफ्ता समझा जाने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि बेहयाई के तमाम वह मनाज़िर सामने आये जिनके तसव्वुर से भी अब से पहले कोई मुसलमान औरत कांप उठती थी।

इन तमाम फहश कारियों और बेहयाई के मनाज़िर के सिलसिले की पहली कड़ी चेहरे से नक़ाब उलटने की तहरीक थी, जिसको क़ुर्आन व हदीस के नाम और तहज़ीब व तमद्दुन के वास्ते से शुरू किया गया और यह बात इतनी बढ़ी कि रक्स गाहों, कल्बों और उनमें इख़्तिलात और बेतकल्लुफी को नाकाफी समझा गया और ऐसे–ऐसे तरीक़े निकाले गये कि जिसके बाद बेहयाई का शायद ही कोई दर्जा हो।

❖❖❖

जगनायक............................

अल्लाह तआला की तरफ से नुसरत व मदद पर भरोसा था। बहर हाल दुश्मन अपनी ज़बरदस्त फौज लेकर पहुंच गया और मुक़ाबला हुआ और मुसलमान अगरचे उसके मुकाबले में एक तिहाई थे लेकिन हैरतअंगेज़ (आश्चर्यजनक) तरीके से कामयाब हुए और कुरैश को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मअ़रके ने मुसलमानों की इज्ज़त बहुत बढ़ा दी और मुसलमानों को एक बेसहारा और कमज़ोर क़ौम समझने का ख़्याल बदल गया और इससे मुसलमानों की ताकत का अंदाज़ा कुरैश और कुर्ब व जवार के लोगों को हो गया। बदर की इस जंग के सिलसिले में इस एक वाक़िए का तज़किरा (वर्णन) भी क़ाबिले ज़िक्र है कि बदर के इस मअ़रके (संग्राम) से बहुत पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के कुछ लोगों की नक्ल व हरकत की इत्तिला मुकामे नख़्ला में मिली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अब्दुल्लाह बिन जहश को 12 आदमियों के साथ रवाना किया था कि सिर्फ मालूमात हासिल करके आ जायें, वहां पहुंचने पर कुरैश के एक क़ाफिले से उनका सामना हुआ था और टकराव की नौबत आई थी, उसमें कुरैश का एक आदमी अमर बिन हज़रमी मारा गया[1]। यह वाकिआ़ रजब की आखिरी तारीख में पेश आया था और रजब में जंग करना ममनूअ़ (वर्जित) समझा जाता था। लिहाज़ा कुरैश ने इस महीने की बेहुरमती करार दिया और उसे मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगन्डा करने और बदला लेने के लिए उभारने और उत्तेजित करने का मौक़ा मिल गया था, जिसके ज़रिये जंग की मंसूबा बन्दी शुरु कर दी थी और इसी वाकिए के नाम से मुसलमानों से जंग करने के लिए बाकाएदा कारवाई पर आमादा किया और जंग के लिए तमाम कुरैशी लोगों को उभारा और उकसाया और इस तरह मज़बूत फौज उनकी यह शर पसंदी (उपद्रव अभिरुचि) स्वयं उनके लिए उलटी पड़ी और अल्लाह तआला की मदद से मुसलमानों को ही कामयाबी मिली।

यह ऐतिहासिक युद्ध "नख़्ला" के वाकिए के दो माह पश्चात और हिजरत के दूसरे साल, 17 रमज़ान जुमअ़ के दिन पेश आया।

❖❖❖

---

1. अल–बिदाया वन–निहाया 3 / 248–252, सीरते इब्ने हिशाम 1 / 601–605

आकर कुर्बानी करते हैं, कुछ लोग कुर्बानी का टिकट खरीद लेते हैं और बैंक उन की तरफ से कुर्बानी कर देता है। अब सर मुंड़ाते या कतराते हैं और औरतें एक अंगुल बाल काट लेती हैं। अब सब हाजी हलाल हो गये नहा धो कर कपड़े पहन लेते हैं फिर हरम जा कर पहले की तरह तवाफे जियारत और सई करते हैं फिर कियाम गाह वापस आते हैं।

11 तारीख को 21 कंकरियाँ लेकर जुह्र के बाद शैतानों को कंकरियाँ मारने जाते हैं, वहां एक–एक करके 7 कंकरियाँ छोटे को फिर 7 कंकरियाँ बीच वाले को फिर 7 कंकरियाँ बड़े वाले को मार कर वापस आते हैं। 12 तारीख़ को ज़वाल के बाद 11 की तरह तीनों शैतानों को कंकरियाँ मार कर मिना से रवाना होकर मक्के की कियाम गाह आ जाते हैं, अब हज पूरा हो गया। अब जब तक मक्के में रहते हैं ज़्यादा वक़्त हरम में गुज़ारते हैं। वापसी के सफर से पहले तवाफे वदा करके वापस होते हैं। जो हाजी देर में जाते हैं उनको हज के बाद मदीना ले जाया जाता है।

कुछ हाजी औरतें मदीना पहुँच कर नापाक हो जाती हैं, वह नापाकी में मस्जिद नहीं जाती अपनी कियाम गाह पर दुरूद व दुआ पढ़ती रहती हैं।

कुछ औरतें मक्का पहुंच कर नापाक हो जाती हैं वह उम्रा नहीं कर सकतीं पाक होने के बाद उम्रा करती हैं।

कुछ औरतें हज का एहराम बांधते वक्त नापाक हो जाती हैं वह एहराम की नीयत करती हैं तलबिया पढ़ती हैं मिना अरफात और मुज़दल्फा जाती हैं, शैतानों को कंकरियाँ मारती हैं, नमाजें नहीं पढ़ती हैं और पाक होने पर तवाफे ज़ियारत करती हैं चाहे इस में देर लग जाए। अल्लाह तआला सब हाजियों का हज कबूल फरमाए।

हमारे यहां के हाजी तमत्तु हज करते हैं उसी का ज़िक्र किया गया है। ❑❑

हज़ कब फर्ज़ होता है और कब किया जाता है, कहां किया जाता है, इतना तो हर मुसलमान को जानना चाहिए। मुसलमान को यह भी मालूम होना चाहिए कि बच्चे का खत्ना करना ज़रूरी है, यह मालूम होना चाहिए कि निकाह के बिना किसी औरत से तअल्लुक नहीं किया जा सकता है, यह मालूम होना चाहिए कि किन औरतों से निकाह जाइज़ है और किन से नहीं, गरज कि जो बातें हर मुसलमान पर फर्ज़ हैं उनका जानना फर्ज़ है।

ज़रूरियाते दीन का इल्म सीखने के लिए मुसलमानों ने दीनी मकातिब का नज़्म कर रखा है, चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी मकतब में दाखिल करें। जब वह ज़रूरियाते दीन का इल्म हासिल कर लें तो फिर आप जो चाहें पढ़ाएं या जिस काम पर चाहें लगाएं।

❖❖❖

कुर्बानी के मसाएल बिहिश्ती ज़ेवर से

—प्रस्तुतिः फ़ौज़िया सिद्दीक़ा फ़ाज़िला

कुर्बानी का बड़ा सवाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह तआला को पसन्द नहीं, उन दिनों में यह नेक काम सब नेकियों से बढ़ कर है और कुर्बानी करते वक़्त यानी ज़ब्ह करते वक़्त ख़ून का जो क़तरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह तआला के पास मक़बूल हो जाता है, तो ख़ूब दिल खोल कर कुर्बानी किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, हर–हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है। सुब्हानल्लाह! भला सोचो तो कि इससे बढ़ कर और क्या सवाब होगा कि कुर्बानी करने से हज़ारों–लाखों नेकियां मिल जाती हैं। भेड़ के बदन पर जितने बाल होते हैं अगर कोई सुबह से शाम तक गिने तब भी न गिन पाए, अतः सोचो तो कितनी नेकियां हुई। बड़ी दीनदारी की बात तो यह है कि अगर किसी पर कुर्बानी करना वाजिब भी न हो तब भी इतने बेहिसाब सवाब के लालच से कुर्बानी कर देना चाहिए कि जब यह दिन चले जाएंगे तो यह दौलत कहां नसीब होगी और इतनी आसानी से इतनी नेकियां कैसे कमा सकेंगे। और अगर अल्लाह ने मालदार और अमीर बनाया हो तो मुनासिब है कि जहां अपनी तरफ़ से कुर्बानी करे तो जो रिश्तेदार मर गये हैं जैसे माँ–बाप वगैरह उनकी तरफ़ से भी कुर्बानी कर दे कि उनकी रूह को इतना बड़ा सवाब पहुंच जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से, आपकी बीवियों की तरफ से, अपने पीर वगैरह की तरफ़ से कर दे और नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर करे कि अपनी तरफ़ से कुर्बानी करे क्योंकि मालदार पर तो वाजिब है, जिसके पास मालो दौलत सब कुछ मौजूद है और कुर्बानी करना उस पर वाजिब है, फिर भी उसने कुर्बानी न की तो उससे बढ़ कर बदनसीब और महरूम कौन होगा और गुनाह रहा सो अलग।

मसला— जिस पर सदक़–ए–फ़ित्र वाजिब है उस पर कुर्बानी करना भी वाजिब है और अगर इतना माल न हो जितना होने पर सदक–ए–फ़ित्र वाजिब होता है, लेकिन फिर भी अगर कर दे तो बहुत सवाब है।

मसला— मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं।

मसला— बकरईद की दसवीं तारीख़ से लेकर बारहवीं तारीख की शाम तक कुर्बानी करने का वक़्त है चाहे जिस दिन कुर्बानी करे, लेकिन कुर्बानी करने का सबसे बेहतर दिन बकरईद का दिन है फिर ग्यारहवीं तारीख़ फिर बारहवीं तारीख़।

मसला— बकरईद की नमाज़ होने से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। जब लोग

नमाज़ पढ़ चुकें तब करे।

मसला– बारहवीं तारीख़ को सूरज डूबने से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त है, जब सूरज डूब गया तो अब कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं।

मसला– दसवीं से बारहवीं तक जब जी चाहे कुर्बानी करे, चाहे दिन में चाहे रात में, लेकिन रात में ज़ब्ह करना बेहतर नहीं कि शायद कोई रग न कटे और कुर्बानी दुरुस्त न हो।

मसला– दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं तारीख़ सफ़र में थे, फ़िर बारहवीं तारीख़ को सूरज डूबने से पहले घर पहुंच गये या पन्द्रह दिन कहीं ठहरने की नियत कर ली तो अब कुर्बानी करना वाजिब हो गया। इसी तरह अगर पहले इतना माल न था इसलिए कुर्बानी वाजिब न थी, फिर बारहवीं तारीख़ सूरज डूबने से पहले कहीं से माल मिल गया तो कुर्बानी करना वाजिब है।

मसला– कुर्बानी को अपने हाथ से ज़ब्ह करना बेहतर है, और अगर कोई औरत करना चाहे और ऐसी जगह है कि परदे की वजह से सामने नहीं खड़ी हो सकती तो भी कोई हरज नहीं।

मसला– अपनी कुर्बानी करते वक़्त ज़बान से नियत करना और दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अगर दिल में ख़्याल कर लिया कि मैं कुर्बानी करता हूं और ज़बान से कुछ नहीं पढ़ा फक़त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर ज़ब्ह कर दिया तो भी कुर्बानी दुरुस्त हो गई लेकिन अगर याद हो तो वह दुआ पढ़ लेना बेहतर है।

मसला– कुर्बानी फक़त अपनी तरफ से करना वाजिब है औलाद की तरफ से वाजिब नहीं, बल्कि अगर नाबालिग़ औलाद मालदार भी हो तब भी उसकी तरफ से करना वाजिब नहीं, अपने माल में से न उसके माल में से, अगर किसी ने उसकी तरफ़ से कुर्बानी कर दी तो नफ़्ल हो गई लेकिन अपने ही माल में से करे, उसके माल में से हरगिज़ न करे।

मसला– बकरी, बकरा, भेंड़, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी, इतने जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है और किसी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है।

मसला– गाय, भैंस, ऊँट में अगर आदमी शरीक होकर कुर्बानी करे तो भी दुरुस्त है लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा सातवें हिस्से से कम ना हो और सब की नियत कुर्बानी करने की या अकीक़ा की हो, सिर्फ गोश्त खाने की नियत न हो, अगर किसी का हिस्सा सातवें हिस्से से कम होगा तो किसी की कुर्बानी दुरुस्त न होगी न उसकी जिसका पूरा हिस्सा है न उसकी जिस का सातवें से कम हो।

मसला– अगर भैंस में सात आदमियों से कम लोग शरीक़ हुए जैसे पाँच आदमी शरीक हुए या छः आदमी शरीक हुए और किसी का हिस्सा सातवें हिस्से से कम नहीं तब भी सब की कुर्बानी दुरुस्त है और अगर आठ आदमी शरीक़ हो गये तो किसी की कुर्बानी सही नहीं हुई।

मसला– कुर्बानी के लिए किसी ने भैंस खरीदी और खरीदते वक़्त नियत की कि अगर कोई और मिल गया तो उसको भी शरीक़ कर लेंगे और साझे में कुर्बानी करेंगे, उसके बाद कुछ और

लोग इस भैंस में शरीक़ हो गये तो यह दुरुस्त है और अगर खरीदते वक़्त उसकी नीयत शरीक करने की न थी बल्कि पूरी भैंस अपनी तरफ़ से कुर्बानी करने का इरादा था तो अब इसमें किसी और का शरीक़ होना बेहतर तो नहीं है लेकिन अगर किसी को शरीक कर लिया तो देखना चाहिए कि जिसने शरीक़ किया है वह अमीर है कि नहीं, उस पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं, या ग़रीब है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अगर अमीर है तो दुरुस्त है अगर ग़रीब है तो दुरुस्त नहीं।

मसला— अगर कुर्बानी का जानवर कहीं गुम हो गया, इसलिए दूसरा ख़रीदा, फ़िर वह पहला भी मिल गया, अगर अमीर आदमी को ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ तो एक ही जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब है, और अगर ग़रीब आदमी को ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ तो दोनों जानवरों की कुर्बानी उस पर वाजिब होगी।

मसला— बकरी साल भर से कम की दुरुस्त नहीं, जब पूरे साल भर की हो तब कुर्बानी दुरुस्त है, और भैंस दो साल से कम की दुरुस्त नहीं है, और ऊँट पाँच साल से कम का दुरुस्त नहीं है, और दुम्बा या भेंड़ अगर इतना मोटा ताज़ा हो कि साल भर का मालूम होता हो और साल भर वाले भेड़ या दुम्बों में अगर छोड़ दिया जाये तो फ़र्क़ न मालूम होता हो तो ऐसे वक्त छः महीने के दुम्बे और भेड़ की भी कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर ऐसा न हो तो साल भर का होना चाहिए।

मसला— जो जानवर अन्धा या काना हो, एक आँख की तिहाई रौशनी या इससे ज़्यादा जाती रही हो या एक कान तिहाई से ज़्यादा कट गया या तिहाई दुम या तिहाई से ज़्यादा कट गई तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं।

मसला— जो जानवर इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ तीन टाँगों से चलता हो चौथा पैर रखता ही नहीं या रखता तो है लेकिन उससे चल नहीं पाता उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं और अगर चलते वक़्त वह पांव ज़मीन पर टेक कर चलता है और चलने में उससे सहारा लेता है लेकिन लंगड़ा करके चलता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है।

मसला— इतना दुब्ला-पत्ला, बिलकुल मरियल जानवर जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गुदा न रहा हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है और अगर इतना दुब्ला न हो तो दुब्ले होने से कोई हरज़ नहीं है, लेकिन मोटे-ताज़े जानवर की कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है।

मसला— जिस जानवर के बिल्कुल दाँत न हों उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, और अगर कुछ दाँत गिर गए लेकिन जितने गिरे हैं उन से ज़्यादा बाक़ी हैं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है।

मसला— जिस जानवर के पैदाइश से ही कान न हों उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर कान तो हैं लेकिन बिल्कुल ज़रा-ज़रा से छोटे-छोटे हैं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है।

मसला— जिस जानवर के पैदाइश ही से सींग नहीं या सींग तो थी लेकिन टूट गई उसकी कुर्बानी दुरुस्त है।

अल्बत्ता अगर बिलकुल जड़ से टूट गई है तो क़ुर्बानी दुरुस्त नहीं।

मसला— ख़स्सी यानी बधिया बकरे और भेंड़े वग़ैरा की भी क़ुर्बानी दुरुस्त है। जिस जानवर के खारिश यानी खुजली है उसकी भी क़ुर्बानी दुरुस्त है, अलबत्ता अगर ख़ारिश की वजह से बिल्कुल लाग़र हो गया हो तो दुरुस्त नहीं।

मसला— अगर जानवर क़ुर्बानी के लिए खरीद लिया तब कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जिससे क़ुर्बानी दुरुस्त नहीं तो उसके बदले दूसरा जानवर खरीद कर क़ुर्बानी करे, हाँ अगर गरीब आदमी हो जिस पर क़ुर्बानी करना वाजिब नहीं तो उसके वास्ते दुरुस्त है कि वही जानवर क़ुर्बानी कर दे।

मसला— क़ुर्बानी का गोश्त आप खायें और अपने रिश्ते—नाते के लोगों को दे दें और फकीरो—मुहताजों को ख़ैरात करें और बेहतर ये है कि कम से कम तिहाई हिस्सा ख़ैरात करें। ख़ैरात में तिहाई से कम न करें लेकिन अगर किसी ने थोड़ा ही गोश्त ख़ैरात किया तो भी कोई गुनाह नहीं है।

मसला— क़ुर्बानी की खाल या तो यूँ ही ख़ैरात कर दे या बेच कर उसकी कीमत ख़ैरात कर दे, वो कीमत ऐसे लोगों को दे जिनको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है, और कीमत में जो पैसे मिले हैं उसी पैसे को ख़ैरात करना चाहिए अगर वो पैसे किसी काम में खर्च कर डाले और इतने ही पैसे और अपने पास से दे दिए तो बुरी बात है। मगर अदा हो जाएगा।

मसला— ख़ाल की कीमत को मस्जिद की मरम्मत या और किसी नेक काम में लगाना दुरुस्त नहीं है, उसे ख़ैरात ही करना चाहिए।

मसअ़ला— अगर ख़ाल को अपने काम में लाए जैसे उसकी छल्नी बनवा लिया डोल या जानमाज़ बनवा लिया तो यह भी दुरुस्त है।

मसला— कुछ गोश्त, चरबी या छीछड़े कसाई को मज़दूरी में न दे बल्कि मज़दूरी अपने पास से अगल से दे।

मसला— किसी पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं थी लेकिन उसने क़ुर्बानी की नियत से जानवर खरीद लिया तो अब उस जानवर की क़ुर्बानी वाजिब हो जाएगी।

मसला— किसी पर क़ुर्बानी वाजिब थी, क़ुर्बानी के तीनों दिन गुज़र गये और उसने क़ुर्बानी नहीं की तो एक बकरी या भेड़ की कीमत ख़ैरात कर दे और अगर बकरी खरीद ली थी तो वही बकरी ख़ैरात कर दे।

मसला— जिसने क़ुर्बानी करने की मन्नत मानी फिर वो काम पूरा हो गया जिसके लिए मन्नत मानी थी तो अब क़ुर्बानी करना वाजिब है, चाहे मालदार हो या न हो और मन्नत की क़ुर्बानी का सब गोश्त फकीरों को ख़ैरात कर दे न खुद खाए न अमीरों को खिलाए।

मसला— अगर अपनी खुशी से किसी मुर्दे को सवाब पहुंचाने के लिए क़ुर्बानी करे तो उसके गोश्त में से खुद खाना, खिलाना, बाँटना सब दुरुस्त है जिस तरह अपनी क़ुर्बानी का हुक्म है लेकिन अगर कोई मरने वाला वसीयत

शेष पृष्ठ..........20 पर

इस्लाम विरोधी प्रश्नों के उत्तर

—नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

हलाल जानवर को ज़ब्ह करने का इस्लामी तरीक़ा

प्रश्नः मुसलमान हलाल जानवरों को क्रूरतापूर्वक ज़ब्ह क्यों करते हैं?

उत्तरः पश्चिम से लेकर पूरब तक जानवरों को ज़ब्ह करने के इस्लामी तरीक़े पर आपत्ति जताई जाती है, यद्यपि उनकी ये आपत्ति अज्ञानता का प्रमाण है, क्योंकि ज़ब्ह करने का इस्लामी तरीक़ा अमानवीय नहीं बल्कि मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उत्तम है।

इस्लाम में ज़ब्ह करने का तरीक़ा—

इस्लामी शरीअत में जायज़ तरीक़े से ज़ब्ह करके खाने की बड़ी ताकीद है। विशेषता अल्लाह का नाम लिये बिना ज़ब्ह करके खाना हराम क़रार दिया गया है। पवित्र क़ुर्आन में हैः—

"तुम उन चीज़ों को बेखटक खाओ जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो और ये उस सूरत में है कि तुम उसकी निशानियों पर ईमान रखते हो"।

(सूरः अनआम)

जानवरों को ज़िब्ह करते समय मानवीय पहलू पर ध्यान रखने पर इस्लाम ने बड़ा ज़ोर दिया है। पवित्र हदीस में हैः—

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आदेश दिया कि छूरियाँ खूब तेज़ की जाएं और उनको जानवरों से छिपा कर ले जाया जाए और जब ज़ब्ह करो तो जल्द कर डालो"।

(मुस्नद अहमद—इब्ने माजा)

इस्लाम ने जानवरों को खाने योग्य बनाने की बुनियादी शर्त ये क़रार दी है कि उसके शरीर से पूरा खून बाहर निकल आए। सामान्य स्थिति में इस उद्देश्य के लिए गर्दन के सामने की ओर खून की चार नलियों के साथ शहेरग भी काट दी जाती है, जिससे जानवर तुरन्त बेहोश हो जाता है। हृदय से सिर की ओर जाने वाली दोनों तरफ की बड़ी नाड़ियों और धमनियों के कट जाने से खून तेज़ी से निकलने लगता है और उसके हाथ—पैर ज़ोर से हिलने लगते हैं, जिससे उसके आखिरी किनारों में रुका हुआ खून भी वहां से निकल जाता है।

जानवरों को कम पीड़ा होती है—

इस्लामी तरीक़े पर जानवरों को ज़ब्ह करने से रक्त की महत्वपूर्ण नलियाँ तुरन्त कट जाती हैं और जानवर तुरन्त बेहोश हो जाता है। सामान्यतः तड़पता भी है तो वह होश में नहीं होता बल्कि उसका तड़पना शरीर से खून बह जाने के कारण पुट्ठों के सिकुड़ने और फैलने से होता है।

माँस ख़राब नही होता—

ज़ब्ह करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हलाल

जानवर का गोश्त ऐसी सूरत में हासिल किया जाए कि वह ख़राब न हो और उसकी रंगत व ज़ायका बना रहे। जानवरों को यदि कष्ट देकर मारा जाये अथवा उसके शरीर से पूरा खून न निकले तो हिस्टामीन की पैदाइश होने और शरीर में खून शेष रह जाने से उसका सेवन हानिकारक सिद्ध होता है।

रक्त द्वारा कीटाणु बाहर निकल जाते हैं—

ख़ून में जीवाणु—कीटाणु आदि पाये जाते हैं, इस्लामी तरीक़े से ज़ब्ह करने से ये कीटाणु रक्त द्वारा निकल जाते हैं। यदि वह जानवर इस्लामी तरीक़े पर न ज़ब्ह किये जाएं तो खून पूरी तरह से न निकलने के कारण उसका माँस अनेक रोगों का कारण बनता है।

"झटका" खाने का नुक़सान—

एशिया में मुस्लिमों के अतिरिक्त जो लोग माँस खाते हैं उनके ज़िब्ह करने का तरीक़ा ये होता है कि जानवरों को खड़ा करके उसकी गर्दन पर तलवार अथवा तेज़ छुरे का वार करके एक ही झटके में सिर उतार दिया जाता है। "झटका" करने में जानवरों की रीढ़ की हड्डी कट जाने से मस्तिष्क का शरीर से सम्बन्ध टूट जाता है और मांसपेशियां तुरन्त सुन्न हो जाती हैं तथा बहुत कम खून निकल पाता है, जिसके कारण गोश्त बदरंग और बदज़ायका हो जाता है तथा उसे पकाते समय एक अजीब सी बदबू आती है।

❖❖❖

क़ुर्बानी के मसाएल.................

कर गया हो कि मेरे तरके में से मेरी तरफ से क़ुर्बानी की जाए और उसकी वसीयत पर उसी के माल से क़ुर्बानी की गई तो उस क़ुर्बानी के तमाम गोश्त वग़ैरा का ख़ैरात कर देना वाजिब है।

मसला— अगर कोई शख़्स मौजूद नहीं और दूसरे शख़्स ने उसकी तरफ से बग़ैर उसकी इजाजत के क़ुर्बानी कर दी तो ये क़ुर्बानी सही नहीं हुई और अगर किसी जानवर में किसी गायब का हिस्सा बगैर उसके कहे तज़वीज़ कर लिया हो तो दूसरे हिस्सेदारों की क़ुर्बानी भी सही न होगी।

मसला— अगर एक जानवर में कई आदमी शरीक़ हैं और वह सब गोश्त को आपस में तक़्सीम नहीं करते बल्कि यकजा ही फ़ुक़रा व अहबाब को तक़्सीम करना या खाना पका कर खिलाना चाहें तो भी जाइज़ है। और अगर तक़्सीम करेंगे तो उसमें बराबरी ज़रूरी है।

मसला— क़ुर्बानी की खाल की कीमत किसी को उजरत में देना जाएज़ नहीं है बल्कि ख़ैरात करना ज़रूरी है।

मसला— क़ुर्बानी का गोश्त फ़क़ीरों को भी देना जाएज़ है बशर्ते उजरत पे न दिया जाए।

मसला— अगर कोई जानवर गाभिन हो तो उसकी क़ुर्बानी जाएज़ है फिर अगर बच्चा ज़िन्दा निकले तो उसको भी ज़ब्ह कर दें।

नोट: गाय की क़ुर्बानी में फ़ित्ना व फसाद हो जाता है इसलिए इस मुल्क़ में गाय की क़ुर्बानी न करें।

❖❖❖

समाज सुधार- हमारी कोशिशें बेकार क्यों?

प्रस्तुतिः कमरुज़्ज़मा

—मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उ़स्मानी

समाज सुधार का शब्द आज न जाने कितने क्षेत्रों में बार—बार इस्तेमाल हो रहा है और न जाने कितनी सामाजिक संस्थायें इसी लक्ष्य के लिए क़ायम हैं। रोज़ाना दिन—प्रतिदिन कितने जल्से और इज्तेमाआ़त इसी काम के लिये हो रहे हैं, सरकारी स्तर पर सामाजिक सुधार के प्रचार समय—समय पर सुनने में आते रहते हैं लेकिन इन सबके बावजूद परिणाम देखिये तो हालत यह है कि —

"चल—चल के फट चुके हैं क़दम उसके बावजूद।
अब तक वहीं खड़ा हुआ हूँ जहाँ से चला था मैं"।

सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? यह सारी सामूहिक कोशिशें बेकार क्यों जा रही हैं? वर्तमान सुधार की कोई कोशिशें कामयाब क्यों नहीं होतीं? अल्लाह मआ़फ करे! क्या क़ुर्आन करीम का वादा झूठा हो सकता है कि जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम उन्हें अपने रास्तों की हिदायत करेंगे? क्या अल्लाह पाक ने यह वादा नहीं फरमाया कि "अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे"। ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक के वादे ग़लत नहीं हो सकते, ज़मीन व आसमान अपनी जगह से टल सकते हैं लेकिन अल्लाह पाक से वादा खिलाफी का सुदूर मुमकिन नहीं, अतः इस सूरते हाल से एक ही नतीजा निकल सकता है और वह यह है कि "सामाजिक सुधार" के नाम पर की जाने वाली इन कोशिशों की दिशा ठीक नहीं है, इन कोशिशों में वह खासियत नहीं पायी जाती जो अल्लाह पाक की रहमत का रुख़ अपनी तरफ कर सकें, अगर हमारी यह कोशिशें सच्चे और साफ दिल से सही दिशा में होतीं तो मुमकिन नहीं था कि अल्लाह तआ़ला की मदद इस हाल में शामिल न होती और इनके बेहतर परिणाम न होते।

अगर हम इस स्थिति के बारे में अपनी अन्तर्रात्मा में देखें तो वास्तविकता यह नज़र आयेगी की सामाजिक सुधार के नाम पर की जाने वाली यह कोशिशें इतनी कमज़ोर हैं कि इनको वास्तविक तौर पर सुधार की कोशिश कहना ही ग़लत है।

जैसे हमें इन कोशिशों में लगभग अलग नज़र आती है कि हर जगह सुधार का आरम्भ दूसरों से करने की फिक्र है, वर्तमान सुधार के लिए हमारा हर वअ़ज़, हमारी हर नसीहत और हमारी हर अपील दूसरों के लिए है और हम चाहते हैं कि समाज के चले हुए तरीक़े में हर मुश्किल बदलाव दूसरे के घर से शुरु हो और यह ख़्याल बहुत कम किसी को आता है कि ज़िन्दगी में बदलाव लाने का फरीज़ा हम पर भी आता है और जिस सुधार के कोशिश की शुरुआत इस ख़्याल से हो कि सुधार दूसरे से शुरु हो उसका अंजाम यही कुछ

हो सकता है जो हम और आप देख रहे हैं।

नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुनिया भर में जो दिलकश इन्क़िलाब बरपा फरमाया और 23 वर्ष के काल में समाज की काया पलट कर रख दी उस का तर्ज़ व अंदाज़ हमारे तरीक़े से बिल्कुल उलट था, वहां हर सुधार का आरम्भ सब से पहले अपनी ज़ात, अपने घर और अपने खानदान से होता था, वहां ज़बानी नसीहत से आमिल सीरत व किरदार और अमली ज़िन्दगी के द्वारा दूसरों को दावत दी जाती थी। वहां अच्छा–बुरा समझने के लिए अलग–अलग पैमाने नहीं थे। वहां समाज सुधार के कोशिशें समाज में अपने आप को नुमायां करने के लिए नहीं होती थीं बल्कि उसकी मंशा वास्तव में दिली चाहत के साथ लोगों की भलाई की फिक्र होती थी। उसी का परिणाम था कि देखते ही देखते समाज से वह सभी खराबियां लुप्त हो गईं जिन्होंने इन्सानों की ज़िन्दगी को जहन्नम बना कर रख दिया था।

आज हमारा हाल यह है कि हमें सारी खराबियाँ अपनी ज़ात और अपने घर से बाहर नज़र आती हैं, हमारा सारा ज़ोर दूसरों पर ऐब निकालने पर होता है, और यह ख्याल कभी मुश्किल ही से आता है कि हमारी ज़ात और हमारा घर भी कोई बदलाव चाहता है। दीनदार से दीनदार लोगों का हाल यह है कि उनके घर का माहौल धीरे–धीरे ज़माने की बुरी हवाओं से प्रभावित हो रहा है और वह एक–एक करके पश्चिमी सभ्यता की तमाम खराबियों के सामने झुकता जा रहा है। घर की औरतों के दिल से पर्दे की महत्ता का आभास जा रहा है मगर उन्हें समझाने बुझाने के बजाए अनदेखी की जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि घर–घर बेपर्दगी की बाढ़ चढ़ आई है। औलाद कमाने के लिए नाजाइज़ तरीक़े इख़्तियार करती है तो उसको टोकने के बजाय अमलन उसकी हिम्मत अफज़ाई की जाती है, परिणाम यह है कि धीरे–धीरे हलाल व हराम का अंतर समाप्त हो चुका है और हराम कमाई से नुक़्सान का कुछ भी ख़्याल दिल में बाकी नहीं रहा।

समाज में फैली बुराइयों की सूची बहुत लम्बी है, बस इस वक्त जिस पहलू की तरफ तवज्जुह दिलाना मक्सूद है वह यह है कि हमारे मुल्क में जो लोग समाज सुधार चाहते हैं दूसरे अगर उनके दिल में मिल्लत का दर्द और कौम की फिक्र है, अगर उनका दिल मुसलमानों की खराब हालत से दुखी है तो उनका फरीज़ा यह है कि वह आगे बढ़ने से पहले खुद अपने और अपने घर के हालात का जाइज़ा लें। एक बार हिम्मत करके अपने घरों को उन बुराइयों से पाक कर डालें जो हमारे समाज को घुन की तरह चाट रही हैं, उसके बाद जब वह समाज सुधार का काम लेकर आगे बढ़ेंगे तो ना सिर्फ यह कि उनकी बात में असर होगा बल्कि उनका एक–एक अमल

शेष पृष्ठ..........28 पर

अश्लील कर्मों से बचने की इस्लामी शिक्षाएं

—मौलाना सैय्यद हामिद अली

इस्लाम की एक महत्वपूर्ण और मौलिक शिक्षा शर्म और लज्जा है, लज्जा यह है कि मनुष्य को अश्लील और बुरे कामों से घिन आये। इस्लाम के मूल सिद्धांत बयान करते हुए कुर्आन में अल्लाह ने फ़रमायाः—

"निःसन्देह! अल्लाह न्याय का, एहसान का, रिश्तेदारों के हक़ अदा करने का आदेश देता है और अश्लील कर्म, बुराई और सरकशी से रोकता है। वह तुम्हें सदुपदेश देता है ताकि तुम ध्यान दो"।

(कुर्आन—16:90)

इस आयत से विदित होता है कि मनुष्य के अन्दर स्वीकारात्मक रूप से तीन मौलिक गुण होने चाहिएः— 1. न्याय, 2. एहसान और 3. रिश्ते—नाते दारों को हक़ देना, और तीन बातें ऐसी है, जिनसे उसकी ज़िन्दंगी पाक होनी चाहिए— 1. अश्लील कर्म, 2. बुराई और 3. सरकशी। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "लज्जा सर्वथा भलाई है"। (बुखारी—मुस्लिम)

निर्लज्ज व्यक्ति हर बुरा काम कर सकता है। हदीस में है— "पिछले नबियों के कलाम से लोगों ने जो कुछ पाया है, उसमें एक बात यह भी है, जब तुम्हें शर्म नहीं, तो जो चाहे करते फिरो"।

(बुखारी)

व्यभिचार सबसे बड़ी निर्लज्जता की बात है। इस्लाम ने उसे बहुत ही बड़ा गुनाह बतलाया है और उसके लिए कठोरतम सज़ा का प्रावधान भी रखा है।

कुर्आन में हैः— "व्यभिचार के निकट भी न जाओ, निःसन्देह यह एक अश्लील कर्म है और बड़ा ही बुरा रास्ता है"। (कुर्आन—17:32)

व्यभिचार के दण्ड की घोषणा करते हुए अल्लाह ने फरमायाः— "व्यभिचार करने वाली औरत और व्यभिचार करने वाले मर्द इनमें से हर एक को सौ—सौ कोड़े मारो और अल्लह के दीन के मामले में तुम्हें उन पर तरस नहीं आना चाहिए, यदि तुम अल्लाह और आख़िरत पर विश्वास रखते हो और उन्हें सज़ा देते समय ईमान वालों का एक गिरोह मौजूद रहे"।

(कुर्आन—24:2)

इस्लाम ने केवल व्यभिचार ही नहीं रोका, बल्कि उसके साथ—साथ उन बातों से भी रोका है जो व्यभिचार को प्रेरणा देतीं या उसका कारण बनती हैं। उसने काम संबंधी बातचीत, काम वासना से भरी दृष्टि, स्पर्श और काम—वासना संबंधी बातों की तरफ़ जाने को व्यभिचार ही में गिना है। हदीस में हैः— "आंखों का व्यभिचार बुरी नज़र है, कानों का व्यभिचार (काम वासना से) सुनना है। ज़ुबान का व्यभिचार (काम वासना संबंधी) बातचीत करना है। हाथ का व्यभिचार (काम वासना के लिए) हाथ बढ़ाना है। पैर का व्यभिचार (काम संबंधी) बातों की ओर

चलना है। दिल चाहता और काम करता है और शर्मगाह या तो उसकी पुष्टि कर देती है या उसे झुठला देती है। (मुस्लिम)

"जो लोग (पाक दामन) स्त्रियों पर (व्यभिचार की) तोहमत लगाएं फिर चार गवाह न लाएं तो उन्हें अस्सी कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी स्वीकार न करो, ये ही लोग अवज्ञाकारी हैं"।

(क़ुर्आन 24:4)

प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने घातक गुनाहों का उल्लेख करते हुए फ़रमाया:– "सात घातक गुनाहों से बचो। सहाबा रज़ि0 ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! वे गुनाह कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्लम ने फरमाया:– 1. अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, 2. जादू करना, 3. किसी को क़त्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम किया है, यह और बात है कि हक़ का यही तक़ाज़ा हो, 4. ब्याज खाना, 5. अनाथ व यतीम का माल हड़प करना, 6. युद्ध के समय पीठ फेर कर भागना, 7. पाक दामन ईमान वाली भोली–भाली स्त्रियों पर व्यभिचार की तोहमत लगाना।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

कुछ अपराध ऐसे हैं जो ईमान के साथ एकत्र नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है:– "व्यभिचार करने वाला जब व्यभिचार करता है तो ईमान की दशा में व्यभिचार नहीं करता, चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो ईमान की दशा में चोरी नहीं करता और जब शराब पीता है तो ईमान की हालत में शराब नहीं पीता और जब लूटमार करता है, जबकि लोगों की निगाहें उसकी ओर उठती हैं तो वह ईमान की दशा में लूटमार नहीं करता और जब तुममें से कोई व्यक्ति कपट करता है तो ईमान की दशा में कपट नहीं करता। तुम इन सब गुनाहों से दूर भागो, और इब्ने अब्बास रज़ि0 की रिवायत में है कि जब वह क़त्ल करता है तो ईमान की हालत में नहीं करता"।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

इस हदीस का आशय यह है कि इस तरह के अपराध ईमान के बिल्कुल प्रतिकूल हैं, मोमिन की ज़िन्दगी को इनसे बिल्कुल पाक होना चाहिए। अगर ग़लती से कोई अपराध हो जाए तो तौबा करके अपने ईमान की रक्षा करनी चाहिए। हया और लज्जा के साथ–साथ इस्लाम की एक अन्य महत्वपूर्ण और मौलिक शिक्षा नम्रता है। क़ुर्आन मजीद में इसके बारे में अल्लाह फ़रमाता है:– "फिर जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गये, मगर इबलीस ने इन्कार किया। वह अपनी बड़ाई के घमण्ड में पड़ गया और अवज्ञाकारियों में शामिल हो गया"।

(क़ुर्आन–2:34)

अर्थात शैतान ने खुदा का हुक्म नहीं माना, वह आदम के आगे नहीं झुका, क्योंकि वह अपने आपको आदम अलैहिस्सलाम से बड़ा समझता था, उसने घमण्ड और अहंकार का रास्ता अपनाया और इस प्रकार अधर्मी हो कर रहा।

जो बात शैतान की गुमराही के सिलसिले में कही गयी है, वही बात हर ज़माने के उन सभी लोगों के लिए है जो सत्य को झुठलाते हैं। वास्तव में सत्य के इन्कार करने में वही लोग आगे–आगे रहे जो धन और सत्ता के नशे में चूर थे। उन्होंने इस बात में अपना अपमान समझा कि वे अल्लाह के सामने झुकें और उसके रसूल का आज्ञानुपालन करें। कुर्आन मजीद में अहंकार को बहुत निंदित ठहराया गया है। सूरह आराफ़ में है:– "जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनके मुक़ाबले में अकड़ दिखायी, ऐसे लोग नरक वाले हैं, वे इसमें हमेशा रहेंगे"।

(कुर्आन–7:36)

नबियों के संदेश को जो असहाय और निर्धन लोग स्वीकार करते थे, उन्हें ये अहंकारी घृणा की दृष्टि से देखते और कहते, इन हीन व्यक्तियों को अपने पास से हटाओ तब हम आएंगे। इस सिलसिले में कुर्आन ने कहा कि:– "जो लोग सुबह–शाम अपने रब को उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पुकारते हैं, उन्हें अपने पास से न हटाना"। (कुर्आन–6:52)

जिसके पास अल्लाह की बन्दगी और उसकी प्रसन्नता की दौलत हो, उसे किसी और दौलत की क्या आवश्यकता है। उसके लिए यही सम्मान काफ़ी है, ऐसा व्यक्ति रसूल के संग रहने का अधिकारी है।

ख़ुदा और उसके बन्दों के मुक़ाबले में घमंड दिखाना बहुत ख़तरनाक बीमारी है और अनेकों बुराइयों की जड़ है, यह इन्सान की दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह करने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है:– "जिस व्यक्ति के हृदय में तनिक भी अहंकार होगा वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकेगा। इस पर एक व्यक्ति ने कहा कि मनुष्य चाहता है कि उसके कपड़े सुन्दर हों, जूते अच्छे हों (क्या यह अहंकार है?) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह स्वयं जमील (सुन्दर) है, सुन्दरता को पसन्द करता है। अहंकार तो यह है कि कोई सत्य के मुक़ाबले में दुस्साहस दिखाये और लोगों को हीन समझे"। (मुस्लिम)

एक अन्य हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:– "अल्लाह फरमाता है, गर्व मेरी चादर है और बड़ाई मेरा नीचे का परिधान, तो जिस किसी ने इनमें से किसी को मुझ से छीनना चाहा, मैं उसे नरक में फेंक दूंगा"। (मुस्लिम)

गर्व और बड़ाई अल्लाह ही के लिए है। मनुष्य के लिये, जो अपनी ज़िन्दगी और अपनी हर ज़रूरत के लिए अल्लाह पर आश्रित है, गर्व शोभा नहीं देता। अल्लाह के मुक़ाबले में अभिमान करना बन्दगी की सीमाओं का उल्लंघन करना है और इसी तरह मनुष्यों में अभिमान मानवता के स्तर से गिरना है। मोमिन न तो अल्लाह के मुक़ाबले में अकड़ता है और न बन्दों के सामने, वह इस

शेष पृष्ठ............28 पर

आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः जो शख़्स बकरईद में कुर्बानी करे, क्या वह बक़रईद का चाँद दिखने के बाद बाल न कटवाए?

उत्तरः जो शख़्स बकरईद में कुर्बानी की नीयत रखे उसके लिए मुस्तहब है कि वह बक़रईद का चाँद दिखने के बाद से जब तक कुर्बानी न करले न बाल काटे न नाखून काटे। लेकिन अगर किसी ने बाल कटवा लिये या नाखून तराश लिये तो मुस्तहब के सवाब से महरूम रहा मगर कोई गुनाह न हुआ।

प्रश्नः छोटा सा घर है दो भाई एक साथ रहते हैं, उनके बूढ़े माँ—बाप भी हैं और ज़वान बेटे—बेटियां भी, घर में इतनी गुंजाइश नहीं कि हर एक के लिए अलग—अलग कमरा बनाया जा सके, ऐसी सूरत में भाई की बीबी और चचा ज़ाद भाई—बहनों में परदा किस तरह हो?

उत्तरः अल्लाह तौफीक़ दे तो छोटे घर को दो मंज़िला तीन मंज़िला करके मुकम्मल परदे का नज़्म हो, जब तक यह न हो सके सभी बालिग़ लड़कियां सातिर लिबास (यानी ऐसा कपड़ा जो चेहरा, हथेलियां छोड़ कर पूरे बदन को ढांक ले) पहनें, इसी हालत में एक दूसरे के सामने आएं, खाना—पानी पेश करें, ज़रूरत की बात करें, मगर चचा ज़ाद बहनों और भाई की बीवी से तन्हाई न हो तो इन्शाअल्लाह बेपर्दगी के गुनाह की पकड़ से बच जाएंगे।

प्रश्नः हज पर जाने वाली औरत को रुख़्सत करते वक्त, इसी तरह हज से वापसी के वक्त बाज ना महरम मर्द उससे मुसाफा कर लेते हैं, यह कैसा है?

उत्तरः ना महरम औरतों से मर्द का मुसाफा किसी हाल में दुरुस्त नहीं, जो लोग अनजाने में ऐसा करते हैं उनको मसला बताना चाहिए।

प्रश्नः हमारे यहां रवाज है कि जब मुर्दे को नहला कर कफन पहना लेते हैं तो जनाज़े का मुंह खोल कर एलान करते हैं कि जिसको ज़ियारत करना हो ज़ियारत कर ले, उस वक़्त बाज़ ना महरम मर्द और औरतें भी जनाज़े के मुँह की ज़ियारत करती हैं, ऐसा करना कैसा है?

उत्तरः मुर्दा औरत का मुंह या बदन का कोई हिस्सा बे ज़रूरत ना महरम मर्दों को देखना जाइज़ नहीं है, इसी तरह औरतें भी ना महरम मर्द के जनाज़े के मुँह की ज़ियारत न करें कि यह नाजाइज़ है।

प्रश्नः क्या ईसाले सवाब (फातिहा) से मुर्दों को फाइदा पहुंचता है? ईसाले सवाब का अच्छा तरीक़ा क्या है?

उत्तरः हदीस से साबित है कि एक सहाबी ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि मैं अपने किसी मरे हुए अजीज़ की

तरफ से कुआँ बनवादूँ तो उनको सवाब पहुंचेगा? आपने फरमाया, हाँ सवाब पहुंचेगा। इसीतरह किसी मरे हुए अजीज़ की जानिब से हज करने को पूछा तो आपने उसमें भी यही जवाब दिया कि तुम मरे हुए अजीज़ की तरफ से हज कर सकते हो। यह दो हदीसों का मफहूम है, इससे मालूम हुआ कि ईसाले सवाब से मरने वाले को सवाब पहुंचता है और उसका फाइदा मिलता है। ईसाले सवाब का तरीक़ा यह है कि आप किसी गरीब को खाना खिला दें या खाना देदें या नक़्द पैसा देदें या कपड़ा देदें, या कुर्आन मजीद की तिलावत करें या कलमा पढ़ें या नफ़्ल नमाज़ पढ़ें, फिर अल्लाह तआला से दुआ मांगें कि इस अमल को कुबूल करे और उसका सवाब फुलां की रूह को पहुंचा दे। बस ईसाले सवाब यानी फातिहा हो गया। मगर याद रहे ईसाले सवाब करने वाला साहिबे ईमान हो और जिस को सवाब बख़्शा वह भी इस दुनिया में ईमान वाला रहा हो।

प्रश्नः शबे बराअत में किसका फातिहा होना चाहिए, इसी तरह ईद व बकरईद में किस के नाम ईसाले सवाब करे?

उत्तरः शरीअत में कब और किसको फातिहा करने को नहीं बताया, वैसे जब भी आपको खुशी का मौक़ा हो शबे बराअत हो ईद हो या बकरईद हो तो अपने मुर्दों को भी ईसाले सवाब करके उनको खुश करें और बेहतर है कि सभी ईमान वालों को सवाब बख़्शें, हज़रत इब्राहीम अ0 की दुआ देखें वह कहते हैं ऐ हमारे रब! मुझे बख़्श दे, मेरे माँ–बाप को बख़्श दे और सारे ईमान वालों को कियामत के रोज़ बख़्श दे। यह याद रहे कि इब्राहीम अ0 के वालिद ईमान न लाये थे, जब हुक्म आया कि गैर ईमान वालों के लिए मगफ़िरत की दुआ नहीं कर सकते तो आपने उनके लिए दुआ करना बन्द कर दिया।

प्रश्नः हमारे इलाक़े में रवाज है कि जब जनाज़े को नहला–कफना कर दरवाज़े पर लाते हैं तो मीलाद पढ़ते हैं, ऐसा करना कैसा है।

उत्तरः शैतान ने आदम अ0 की औलाद को बहकाने की कसम खा रखी है, अल्लाह तआला ने भी मसलहतन उसको छूट दे रखी है, लिहाज़ा वह नेक कामों में भी बहकाने की कोशिश करता है, अव्वल तो जो मीलाद रायज है उसका कोई सुबूत नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइश का ज़िक्र बाबरकत है जब चाहें ज़िक्र करें, लेकिन जनाज़े पर मीलाद पढ़ने का हुक्म शरीअत में नही मिलता, यह अपनी तरफ से गढ़ लिया गया है। जो लोग मीलाद करते हैं सब जानते हैं कि ज़िक्रे मीलाद खुशी का मौका है उसे गमी के मौक़े पर लाना निहायत बे अक़्ली है, जिसका जी चाहे बरेली या देवबन्द कहीं से भी फ़त्वा मंगवा ले कहीं से भी जनाज़े पर मीलाद का फत्वा न मिलेगा। जनाज़े की नमाज़ तो फर्ज़े किफ़ाया है मगर जनाज़े पर मीलाद पढ़ना बिदअत है, इससे बचना चाहिए और इसके बजाए

मग़फिरत के लिए सूरतें पढ़ें, इसाले सवाब करें, मग़फिरत की दुआ करें और बिदअत से बचें।

प्रश्नः क़ुर्बानी करने का तरीक़ा बताइये।

उत्तरः जानवर को क़िब्ला रुख इस तरह लिटाएं कि उस का सर दक्खिन को हो, फिर क़िब्ला रुख़ हो कर यह नीयत करें कि जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उन सब की तरफ से (नाम लेलें तो अच्छा है) क़ुर्बानी कर रहा हूं, फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह कर छुरी चला दें और चारों रगें काट दें। फिर दुआ करें कि अल्लाह तआला इसको फलां की तरफ से क़ुबूल फरमाये। अगर अपनी तरफ से अकेले कर रहे हों तो अपनी तरफ से नीयत करें। ज़ब्ह से पहले जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनके पढ़ने में सवाब है, न पढ़ने से भी क़ुर्बानी हो जाएगी। हिन्दी में दुआएं लिखना मुश्किल है इसलिए दुआएं नहीं लिखी जा रही हैं। किसी उर्दू किताब में देख लें। ❑❑

अश्लील कर्मों से बचने............

बात को अच्छी तरह जानता है कि वास्तव में वह ख़ाली हाथ और बिल्कुल बेबस है। उसके पास जो कुछ है वह अल्लाह का है और अल्लाह जब चाहे ये चीज़ें उससे छीन भी सकता है। अल्लाह की दी हुई इन नेमतों को पाकर अभिमान और घमण्ड करने का उसे कोई औचित्य नहीं है। ये चीज़ें तो केवल परीक्षा के लिए उसे दी गयी हैं, अगर वह अहंकार और घमण्ड का मार्ग अपनाएगा तो वह अल्लाह की यातनाओं का अधिकारी होगा, अपमानित होगा।

मोमिन का हाल तो यह होता है कि उसे जितना अधिक दौलत और अधिकार प्राप्त होता है वह उतना ही अधिक अल्लाह के आगे झुकता है और मनुष्यों के साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है। उसका व्यवहार दिखावे का नहीं बल्कि वास्तविक होता है। इससे वह अल्लाह और मनुष्यों की नज़र में उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है– "सद्क़ा करने से माल कम नहीं होता। क्षमा करने से अल्लाह बन्दे की इज़्ज़त ही बढ़ाता है और जो अल्लाह के लिए नम्र होता है, अल्लाह उसे उच्च स्थान प्रदान करता है"। (मुस्लिम)

(कान्ति मासिक पत्रिका से ग्रहीत)

❖❖❖

समाज सुधार ....

और एक–एक अन्दाज़ लोगों को प्रभावित कर सकेगा वरना यह क़ौम बे रूह अपने लम्बे कान से सुन रही है। इन बेरूह अपीलों में यह ताकत नहीं कि वह समय के धार को मोड़ सकें।

❖❖❖

स्वागत एंव अनुरोध

हम आपके परामर्शो का स्वागत करते हैं तथा लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वह सरल भाषा में लिखें।

इदारा

अरब भूगोलवेत्ता 'अल-बैरूनी'

-डॉ० इसपाक अली

अल-बैरूनी का पूरा नाम अबू रिहान मुहम्मद था। उसने अपना यौवन उज्बेकिस्तान में सर-दरिया के तट पर स्थित ख्वारिज्म (खींवा) नगर में व्यतीत किया था। ख्वारिज्म के राजकुमार और शासक को कला और विज्ञान से अत्यधिक लगाव होने के कारण उन्होंने अल-बैरूनी जैसे विद्वान को विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के लिए तथा विश्व के अनेक भागों की यात्राओं पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके समर्पित और विस्तृत ज्ञान के द्वारा अल-बैरूनी ने दर्शन, धर्म, गणित, चिकित्सा शास्त्र विभिन्न भाषाओं और साहित्यों में महान विद्वता अर्जित की थी। वह एक सृजनात्मक प्रतिभा, निष्कपटता, दूरदर्शिता और बुद्धिमता के साथ एक सम्पन्न व्यक्ति था। उसका हास्य, साहस, उत्साह, उद्देश्यवादिता, उसकी ईमानदारी और बौद्धिक कुशलता असाधारण थी।

अल-बैरूनी ने बहुत सी पुस्तकें लिखीं। अल-बैरूनी द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में किताब अल हिन्द, अल कानून, अल मसूदी (बादशाह मसूद के कानून), द वेस्टीज ऑफ दी पास्ट (The Vestige of the past) तारीखुल हिन्द, किताब अल जमाकीर और किताब अल सैयदना है। उसने पंतजलि द्वारा लिखित मूल पुस्तक का संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद किया, जिसमें भारत और चीन के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी हुई है। उसने भूगोल पर कुल 27 किताबें लिखी थीं। उनमें से मानचित्र कला, भूगणित (Geodesy) जलवायु विज्ञान प्रत्येक पर चार पुस्तकें लिखी थीं। शेष पुस्तकें धूमकेतुओं, उल्काओं और सर्वेक्षण पर लिखी गई थीं।

अल-बैरूनी ने अपनी पुस्तक अल-तहदीद (Al-Tahdid) में कायनात की उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया है। उसने दिन और रात के सम्बन्ध में एक किताब 'रिसालह (Risalah)' लिखी थी। जिसमें ध्रुवों पर 6 माह की अवधि के दिन को सिद्ध किया है। उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक 'कानून अल मसूदी' में सूर्य और चन्द्रमा का विशद वर्णन है। उसने उषा काल (Dawn) और संध्या लाली (Twilight) के कारणों और समयों की भी विवेचना की थी। उसने पाया कि संध्या लाली (प्रातः और सांय) उस समय होती है जब सूर्य क्षितिज से 18^0 नीचे होता है। आधुनिक शोध के द्वारा अल-बैरूनी के इस निष्कर्ष को सही माना गया है।

ज्वार भाटे के सम्बन्ध में उसने कहा था कि ज्वार भाटा की अधिकतम और न्यूनतम ऊँचाईयां चन्द्रमा की अवस्था में अन्तर के कारण होती है। उसने सोमनाथ के तट पर आने वाले ज्वार का विशद वर्णन किया है और ज्वार को चन्द्रमा की उत्पत्ति माना है। तारों के सम्बन्ध में

उसका मत था कि आकाश के एक छोटे से भाग में भी तारों की संख्या निश्चित कर पाना कठिन है। उसे उस *काल के सीमित* यंत्रों का भी ज्ञान था। उसने अरस्तु के इस विचार को कि आकाश गंगा (Milky Way) ग्रहों के नीचे स्थित है, को अस्वीकार करते हुए यह अनुमान लगाया था कि ये तारों के उच्चतम क्षेत्रों से सम्बन्धित है। उसने अरस्तु के इस विश्वास को, कि तारे आँखों की ज्योति को हानि पहुंचाते हैं, वे दु:ख और दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी हैं, की भी आलोचना की थी।

यद्यपि अल–बैरूनी खगोल विद्या के प्रति समर्पित था फिर भी वह गणित में, अंक गणित में श्रेष्ठ था। अल–बैरूनी की भू–आकृति विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान (Paleontology) में विशेष रुचि थी। उसने अरब, जुरजान, केस्पियन सागर के सहारे ख्वारिज्म के मैदानों से प्राप्त जीवाश्मों की तुलना की। उनके अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ था कि इन स्थानों पर कभी समुद्र रहा होगा। उसके अनुसार गंगा–सिन्धु का मैदान नदियों की लाई हुई गाद से बना है। उसने आवासीय विश्व के विस्तार का सही अनुमान लगाया था, इसकी लम्बाई पूर्व में चीन से पश्चिम में मोरक्को और स्पेन तक फैला हुआ माना था। इस आवासीय विश्व को सागर सीमित करते हैं। यह विश्व चिरकालीन सात अक्लीम (Aqalim) के सात विभागों में विभाजित है।

हिन्द महासागर में अनेक द्वीप होने का उसने उल्लेख किया है और यह माना है कि यह सागर पूर्व में अन्य सागरों से जा मिलता है और सम्भवत: अफ्रीका के दक्षिण में पश्चिम के समुद्रों से मिलता है। हिन्द महासागर का सम्पर्क कलिमसा सागर (लाल सागर) और फारस की ख़ाड़ी से भी है। उसने चीन सागर के विषय में भी उल्लेख किया और इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि पूर्व में सागरों के नाम द्वीपों और देशों के नाम पर रखे जाते हैं।

एशिया के सम्बन्ध में अल–बैरूनी का ज्ञान विस्तृत और पूर्ण रूप से सही था। उसके अनुसार हिमालय पर्वत एशिया की प्रमुख सततवाहिनी नदियों का उद्गम क्षेत्र है। उसने विस्तार पूर्वक तुर्कों की भूमिका के बारे में जानकारी दी, जिसकी पहचान उसने पूर्वी साइबेरिया में बेकाल झील और अगरर (Augrar) नदी क्षेत्र के रूप में की है।

अल–बैरूनी ने भारत के भूगोल के सम्बन्ध में विस्तृत और सही वर्णन किया है। निम्न कश्मीर के किलों से दक्षिणी प्रायद्वीप तक के भारत का विस्तार से वर्णन आश्चर्यजनक ढ़ंग से उपमहाद्वीप के वास्तविक परिमाप के निकट है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने सिन्धु और उसके उद्गम मार्ग और बाढ़ के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराई है। पंजाब और अफगानिस्तान के भूगोल का ज्ञान उसके स्वयं के व्यक्तिगत अवलोकन के आधार पर था। उसने घेरबन्द (घर बन्द), नूर, कैरा (Kaira) श्रावत, सवा, पंचीर, बिटूर (अफगानिस्तान

वियाक्ता), झेलम, चन्डहारा (चिनाब) ईर्वा (रावी) और शलतलाद (सतलज) नदियों का वर्णन किया है।

उत्तर पश्चिम भारत की ऋतुओं का सजीव वर्णन अल–बैरूनी ने किया है। उसने मानसून जिससे ग्रीष्म ऋतु में भारत के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने यह भी उल्लेख किया है कि कश्मीर और पंजाब में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है।

उत्तर पश्चिमी भारत विशेष कर कश्मीर के सम्बन्ध में अल–बैरूनी ने अत्यन्त मूल्यवान सामग्री प्रस्तुत की है। गिलगित के बारे में उसने लिखा है कि यह कश्मीर से दो दिन की यात्रा की दूरी पर है। कश्मीर के सम्बन्ध में उसने लिखा है कि यह एक सपाट उपजाऊ पठार पर स्थित है जो चारों ओर से अगम्य पर्वतों से घिरा है। इस प्रदेश का दक्षिणी और पूर्वी भाग हिन्दुओं के अधिकार में है, पश्चिम में मुस्लिम शासकों और उत्तरी पूर्वी भाग ख़तन (Khatan) और तिब्बत के तुर्कों के अधिकार में है। कश्मीर के लिए सबसे सुलभ मार्ग झेलम कन्दरा से होकर जाता है।

अल–बैरूनी ने हिन्दू समाज में जाति उत्पत्ति, मूर्ति पूजा और हिन्दू धर्म ग्रन्थों की भी व्याख्या की है। गीता, पंतजलि, विष्णु धर्म और कुछ पुराणों के अध्ययन के साथ–साथ उसके द्वारा वेदों के अर्जित ज्ञान से अल–बैरूनी को हिन्दू मान्यताओं का प्रथम और निष्पक्ष वर्णन करने का अद्वितीय अवसर मिला। अल–बैरूनी ने हिन्दू मान्यताओं मे द्विविवधता (Dulism) अर्थात शिक्षित हिन्दुओं की मान्यताओं और अशिक्षित जन समूह की मान्यताओं में भिन्नता पाई। भाषा विज्ञान में द्विविविधता से यह दरार और अधिक चौड़ी हो गई है। जन समूह की भाषा, शिक्षित जनों की भाषा से भिन्न है। इस प्रकार शिक्षित वर्ग ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया है जबकि सामान्य जन समूह का इसमें विश्वास है।

अल–बैरूनी के काल को रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के युग की संज्ञा दी जाती है। उस काल में अनेक लोग ऐसे थे जो खगोल विज्ञान को केवल जनश्रुति मानते थे। यह पूर्वाग्रह तर्कशास्त्र के विरोध के समान था। जिसका विरोध इस आधार पर था कि इसकी शब्दावली गैर मुस्लिम यूनानी साहित्य और भाषा की थी। यद्यपि यूनानी शब्दावली का लिया जाना अनुवादकों का दोष था। इसी प्रकार भूगोल को भी लोगों ने नकारा क्योंकि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। पवित्र क़ुर्आन में अनेक यात्राओं का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए पैगम्बर मुहम्मद साहब की हिज़रत का वर्णन मिलता है। अल–बैरूनी ने विज्ञान के विरोधियों को स्मरण दिलाया कि ईश्वर मनुष्य को स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों पर इस विश्वास के साथ विचार करने के लिए कहा है कि प्रकृति के सभी तथ्य महान अभिप्राय के सत्य को प्रकट करते हैं।

❖❖❖

ज़ब्ह का सही तरीक़ा

हलाल व हराम जानवर

—मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

ज़ब्ह की दो क़िस्में हैं—

1. **इज़्तरारी**— इसकी ज़रूरत किसी जानवर का शिकार करते वक़्त होती है।

2. **इख़्तियारी**— जो किसी क़ाबू में मौजूद जानवर का किया जाता है। शरीअत ने हर हालत में जानवर को बिला वजह तकलीफ़ देने पर पाबन्दी लगायी है। इसलिए बुख़ारी—मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस शख़्स पर लानत की है जो किसी जानदार पर निशाना बाज़ी करे। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ि0 रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआला ने हर चीज़ के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया है, तो जब क़त्ल करो तो बेहतर तरीक़ा इख़्तियार करो, और जब ज़ब्ह करो तो बेहतर ढंग से ज़ब्ह करो, तुममें से हर एक को चाहिए कि अपनी छुरी तेज़ कर ले और ज़ब्ह होने वाले जानवर को राहत दे"। (मुस्लिम)

इख़्तियारी ज़ब्ह का तरीक़ा— जब किसी जानवर को ज़ब्ह करना हो, जो काबू में हो तो निम्नलिखित बातों का ख़्याल रखना चाहिए।

1. जानवर को ज़ब्ह करने से पहले चारा खिलायें, पानी पिलायें, भूखा—प्यासा रखना मकरूह है।

2. ज़ब्ह करने वाली जगह तक जानवर को आसानी से ले जाएं, घसीट कर ले जाना मकरूह है।

3. क़िब्ला रुख़ बायें करवट लिटाएं, इससे जान आसानी से निकलती है, लिहाज़ा इसके ख़िलाफ़ करना मकरूह है।

4. छुरी तेज़ रखें, कुन्द छुरी से ज़ब्ह करना मकरूह है।

5. जानवर को लिटाने से पहले ही उससे छिपाकर छुरी तेज़ करें, इसलिए कि "मुस्तदरक हाकिम" और "मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़" में रिवायत है कि एक शख़्स जानवर को लिटाकर छुरी तेज़ करने लगा तो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "तुम जानवर को कई मौतें दे रहे हो"।

6. एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ब्ह करना या लिटाने के बाद ज़ब्ह करने में बिला वजह देर करना मकरूह है।

7. इतनी सख़्ती से भी ज़ब्ह करना मकरूह है कि जानवर या परिन्दे का सर अलग हो जाए, या हराम मग्ज़ तक छुरी पहुंच जाए। लेकिन अगर एहतियात के बाद भी गर्दन अलग हो जाए तो ये काम अगरचे मकरूह है लेकिन इसका गोश्त खाना जाएज़ है।

8. ज़ब्ह के बाद जानवर के ठण्डा होने के पहले खाल या गर्दन अलग करना भी मकरूह है।

9. ज़ब्ह का तरीक़ा ये है कि जानवर का मुंह क़िब्ला रुख़ करके अपना रुख़ भी क़िब्ला की तरफ़ रखें। और जानवर बायें करवट पर लिटायें (ये तभी हो सकता है जब जानवर को उस तरफ़ से उल्टा लिटाएं जिस तरफ़ से कब्र में मुर्दों को लिटाते हैं) फिर तेज़ छुरी लेकर "बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर" कह कर उसके गले को काटें, यहां तक कि चार रगें कट जाएं, एक हुल्क़ूम (नरख़रा) जिससे सांस लेता है, दूसरी मरई जिससे दाना–पानी जाता है और दो वो शह रगें जो नरख़रा के दायें–बायें होती हैं। अगर उन चारों में से तीन ही कटीं तब भी ज़ब्ह दुरुस्त है, उसको खाना हलाल है अगर दो ही रगें कटीं तो जानवर मुरदार के हुक्म में है, उसको खाना सही नहीं।

10. ज़ब्ह करने वाला आक़िल बालिग़ मुसलमान या किताबी होना ज़रूरी है। किताबी से मुराद ईसाई या यहूदी है बशर्ते ये कि मुलहिद न हो। ज़ब्ह के वक़्त बिस्मिल्लाह जान बूझ कर नहीं कहा तो वो मुरदार है और उसको खाना हराम है। और अगर भूल हो जाए तो खाना दुरुस्त है।

जानवरों के वो अंग जिनका खाना ठीक नहीं– हलाल जानवरों की सात चीज़ें खाना मना है।

1. ज़कर (नर की शर्मगाह) 2. फ़रज (मादा की शर्मगाह) 3. मसाना 4. गुदूद (हराम मग़ज़ जो पीठ के मेहरे में होता है) 5. खुसिया 6. पित्ता मुरारा 7. बहता खून– इनमें से खून की हुरमत नस क़तई से साबित है, बक़िया की हुरमत उनके मुज़िर होने, घिनावनी चीज़ होने की वजह में से है।

1. **ज़ब्ह इज़्तरारी**– ज़ब्ह इज्तरारी (ग़ैर इख़्तियारी) तरबियत याफ़्ता परिन्दा या जानवर या तीर के ज़रिये शिकार करते वक़्त जानवर के बदन के किसी भी हिस्से को ज़ख़्मी करके खून बहा देने को कहते हैं। ज़ब्ह ग़ैर इख़्तियारी उन जानवरों में होता है जो ज़ब्ह करते वक़्त ज़ब्ह करने वाले के काबू में न हों। अलग–अलग हदीसों में आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसके अहकाम बयान फ़रमाये हैं, चुनांचे अदी इब्न हातिम रज़ि0 फ़रमाते हैं– नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि जब तुम अपना शिकारी कुत्ता छोड़ो तो बिस्मिल्लाह कहो। अगर वो तुम्हारे लिए पकड़े और तुम उसे ज़िन्दा पा जाओ तो उसे ज़ब्ह कर लो और अगर इस हाल में पाओ कि उसने जानवर को मार डाला और इसे खाया नहीं है तो उसे खा लो और अगर उसने खा लिया है तो न खाओ, इसलिए कि उसने अपने लिये पकड़ा है। अगर तुम अपने कुत्ते के साथ दूसरा कुत्ता पाओ और जानवर मर चुका हो तो न खाओ, इसलिए कि तुम्हें क्या पता कि दोनों में से किसने मारा है, और जब तुम तीर से शिकार करो तो बिस्मिल्लाह कहो। अगर जानवर एक दिन तक न मिले और उसमें सिर्फ़ तुम्हारे तीर का असर हो तो अगर चाहो तो खा लो और अगर पानी में डूबा हुआ पाओ तो न खाओ।

फ़ुक़्हा ने ग़ैर इख़्तियारी ज़ब्ह की भी कुछ ख़ास शर्तें बयान की हैं।

1. शिकारी *हालते* एहराम में न हो।

2. शिकार हरम में न किया गया हो।

3. शिकार करने वाला जानवर या परिन्दा तरबियत याफ़्ता हो।

4. शिकार अगर शिकारी जानवर के ज़रिए हो तो उसको शिकार के लिए छोड़ते वक़्त अगर तीर व नेज़ा वग़ैरह से किया जाए तो उसको फेंकते वक़्त बिस्मिल्लाह कहा गया हो।

मशीनी ज़बीहे का हुक्म— फ़िक्ह एकेडमी ने मशीनी ज़बीहे से संबंधित निम्नलिखित क़रारदार मंजूर किये हैं।

1. अगर जानवर बिजली के ज़रिये चलने वाली जंज़ीर या पट्टे से लटक के बेहोशी के मरहले से गुज़रने के बाद ज़ब्ह करने वाले के सामने पहुंचता है और ज़ब्ह करने वाला बिस्मिल्लाह कह कर इसे अपने हाथ से ज़ब्ह कर देता है और जानवर ज़ब्ह होने के वक़्त उसके ज़िन्दा होने का यक़ीन है तो ये सूरत इत्तेफ़ाक़ के साथ जाएज़ है। इसलिए कि इसमें सिर्फ़ जानवर का नक़्ल व हमल मशीन के ज़रिये हो रहा है बाक़ी काम ज़ब्ह करने वाले के हाथ से अन्ज़ाम दिया जाता है। एकेडमी मुसलमान अरबाब से ख़्वाहिश करती है कि वो इसी तरीक़े को रिवाज दें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो ज़ब्ह की रफ़्तार तेज़ करने के लिए कई ज़ब्ह करने वालों का इन्तिज़ाम किया जाए।

2. मशीनी ज़ब्ह की ऐसी शक्ल जिसमें जानवर के नक़्ल व हमल और ज़ब्ह दोनों काम मशीन से अन्जाम पाये, इसतरह कि बटन दबाने के बाद मशीन हरकत में आ जाए और मशीन पर बारी-बारी जानवर आता जाए, इस सूरत के बारे में अक्सर हज़रात की राय ये है कि पहला जानवर हलाल होगा उसके बाद जो जानवर ज़ब्ह होते जाएंगे वो जाइज़ नहीं।

जिन हज़रात के नज़दीक मशीन के ज़रिये ज़ब्ह की सूरत में पहला जानवर हलाल हो जाता है उनके नज़दीक अगर ऐसी मशीन ईजाद हो जाए जिससे बड़ी तअदाद में छुरियां जुड़ी हुई हों और बटन दबाते ही एक साथ चलकर एक-एक जानवर को एक साथ ज़ब्ह कर देती हो तो ये सभी जानवर हलाल हो जाते हैं।

हलाल व हराम जानवर—

जानवर दो तरह के होते हैं, एक वो जो सिर्फ पानी में ज़िन्दा रह सकते हैं, दूसरे जो खुश्की में रहते हैं। पहली क़िस्म में सिर्फ मछली की तमाम क़िस्में हलाल हैं, बक़िया पानी का कोई भी जानवर अहनाफ़ के नज़दीक हलाल नहीं। इसलिए कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है "हमारे लिए सिर्फ दो मुरदार हलाल हैं मछली और टिड्डी।" ये भी ध्यान रहे कि मछली जब अपनी मौत मर कर ऊपर आ जाए तो हलाल नहीं है, मरने की कोई वजह होनी चाहिए। जहां तक संबंध है ज़मीनी जानवरों का तो उनमें से कुछ के खून नहीं रहता या

शेष पृष्ठ............36 पर

मुसीबत और परेशानी का इलाज

—मौ0 क़ारी सिद्दीक़ बांदवी रह0

—प्रस्तुतिः हाशमा अन्सारी

मुसीबत और परेशानी में भी अल्लाह तआला ख़ैर के दरवाज़े खोल देता है।

हज़रत इब्राहीम अलै0 का वाकया बुख़ारी शरीफ में आया है कि जब हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे थे तो उस रास्ते में एक बादशाह का महल पड़ता था। उस बादशाह की आ़दत थी कि हर मुसाफिर और गुज़रने वाले के साथ जो औरत होती उसको अपने पास पकड़वा लेता, बुरा सुलूक़ करता। अगर कोई शख़्स यह कह दे कि यह मेरी बहन है तो उसको छोड़ देता था। लोगों ने खबर दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ उनकी खूबसूरत औरत है। बादशाह ने बुलाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा यह कौन है? फरमाया कि यह मेरी बहन है। मुराद यह था कि इस्लामी रिश्ते से मेरी बहन है। लेकिन उसके बावजूद बादशाह ने उनको नहीं छोड़ा, गलत काम का इरादा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, उधर हज़रत सारह अलै0 ने नमाज़ की नियत बांधी और दुआ की। बादशाह धंसने लगा, उसने उन्हें इज्ज़त से आजाद छोड़ देने का वादा किया और नज़ात की दुआ की। सारा अलै0 ने दुआ किया, फिर दुबारा उसने गलत इरादा किया, दूसरी मरतबा भी ऐसा ही हुआ। तीन मरतबा ऐसा किस्सा पेश आया, बादशाह ने कहा कि किसको तुम लोग पकड़ लाये, यह इन्सान है या कोई और, ले जाओ इसको यहां से। लेकिन बादशाह इतना समझ गया कि यह मामूली लोग नहीं, बहुत अहम लोग हैं। इसलिए उन कि खिदमत में एक बांदी पेश की जिस का नाम हाजरा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारह और बांदी हज़रत हाजरा को लेकर वहां से चल दिये।

इस तरह के तकलीफ भरे परेशान कुन हालात अम्बिया अलैहिस्सलाम पर भी आये हैं। कोई भी ऐसा नहीं आया जिसको लोगों ने सताया न हो, यह कोई मायूस होने की दलील नहीं बल्कि उसमें दरजात की तरक्की होती है। बरसों—बरस के मुजाहदह से वह तरक्की हासिल नहीं होती जो मुसीबतों और रंज व गम के ज़रिए होती है। बुरे हालात आते हैं उससे घबराना नहीं चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। क्या यह मामूली तकलीफ देह बात है कि रास्ते में बादशाह रोक ले, परेशान करे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो पूरी ज़िन्दगी ही ऐसी गुज़री है। घर के लोगों ने परेशान किया, खानदान के लोगों ने तंग किया, बाप ने मारने की धमकी दी। घर छोड़ कर हिज़रत कर गये। शाम जा रहे थे तो रास्ते में

यह किस्सा पेश आ गया। उसके बाद हुक्म हुआ कि बीवी–बच्चों को जंगल में छोड़ आओ, हज़रत हाजरा और इकलौते बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ आये। इस्माईल अलैहिस्सलाम जब कुछ बड़े हुए तो हुक्म आया कि बेटे को ज़ब्ह (कुर्बान) कर दो। उनकी पूरी ज़िन्दगी मुजाहदे (आजमाइश) की मिलती है। एक हालत से दूसरे हालत की तरफ बदलते गये। उसके बाद अल्लाह ने इमाम बनाया, कोई कौम ऐसी नहीं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न मानती हो। यहूदी, ईसाई, मुस्लिम सब मानते हैं, हिन्दू भी मानते हैं। इसलिए बुरे हालात से घबराना नहीं चाहिए। करना वह चाहिए जो हज़रत सारह अलै0 ने किया था कि नमाज़ की नियत बांध कर खड़ी हो गयीं, दुआ की कि अल्लाह तआला उसके जुल्म से नज़ात नसीब फरमाये। उससे मालूम हुआ कि कोई भी नागवार बात पेश आये तो अल्लाह तआला ही से दुआ करे। सब्र से काम ले और यकीन रखे कि इसमें हमारे लिए ख़ैर है। न बादशाह बुलाता, न हज़रत सारह जातीं, न हाजरा तोहफे में मिलतीं। हज़रत हाजरा ही से तो इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। आप ही की नस्ल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पैदा हुए। यह कितनी बड़ी ख़ैर की बात है। जितना ज़्यादा परेशानकुन हालात होंगे उतनी बड़ी उसमें मस्लेहत होगी।

इसलिए हालात से घबराना नहीं चाहिए, सब्र करे, अल्लाह से दुआ करे, ख़ैर कि उम्मीद रखे, इन्शा अल्लाह उसमें ख़ैर ज़ाहिर होगी। ❑❑

ज़ब्ह का तरीक़ा ....

बहता हुआ खून नहीं रहता है, ये सब के सब हराम हैं सिवाये टिड्डी के, जैसे हशरातुल अरज़, मक्खी और भिड़ वगैरह। इसी तरह चूहा सांप और बिच्छू वगैरह। इसलिए कुर्आन मजीद में अल्लाह तआला का इरशाद है "(अनुवादः उन पर ख़बाइस को हराम क़रार देते हैं) और ख़बाइस और घिनावनापन उन सब में पाया जाता है।

जिन जानवरों में दुम साइल होता है उनमें से कुछ पालतू होते हैं जैसे ऊँट, गाय, भैंस और भेड़ बकरी वगैरह ये हलाल हैं, लेकिन पालतू गधे हराम हैं। घोड़े में खुद हमारे फ़ुक़्हा का इख़्तिलाफ़ है। पालतू परिन्दों में मुर्गी और बतख़ वगैरह जाएज़ हैं। अगर नर–मादा में से एक हलाल हो और दूसरा हराम तो जानवरों में हुक्म का आधार मादा पर होगा। इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए उलमा ने जर्सी गाय और उसके दूध को हलाल क़रार दिया है। जहां तक जंगली जानवरों का संबंध है तो उनके बारे में उसूली बात बताते हुए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं: आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ैबर के दिन हर नुकीले दांत वाले दरिंदे और पंजे से शिकार करने वाले परिन्दे से मना फरमाया है। इससे शेर, चीता, भेड़िया और बाज़ वगैरह का हराम होना मालूम हो रहा है। इसी तरह मुरदार और गंदगियों पर ज़िन्दगी गुज़ारने वाले गिद्ध जैसे परिन्दे भी हराम हैं। ❑❑

कुछ इस्लामिक माप तथा बाँटों का परिचय

—इदारा

दिरहम— यह एक चाँदी का सिक्का था जो तौलने के काम में भी आता था, अब यह दुबई वगैरह में नोट की शक्ल में चलता है। शरीअत में इसके वज़न की बड़ी अहमियत है। इस के वज़न (तौल) में आलिमों में इख़्तिलाफ है लेकिन जमहूर उलमा के नज़दीक इसका वजन पुराने बाँटों से 25.20 रत्ती और नये बाँटों में 3. 0618 ग्राम है।

दीनार— यह एक सोने का सिक्का था जो तौल के काम में भी आता था, आज कल खलीजी मुल्कों में नोट की शक्ल में पाया जाता है।

मिस्क़ाल— यह एक बांट था, *दीनार और मिस्क़ाल* दोनों तौल में बराबर थे। मिस्काल पुरानी तौल में 36 रत्ती और नई तौल में 4.374 ग्राम होता है।

साअ़— यह एक मापने वाला बरतन था, अरब मुल्कों में गल्ला नापने के काम में आता था, आज भी सऊदी अरब में यह पैमाना (माप यंत्र) मौजूद है। इसकी तौल में भी इख़्तिलाफ हुआ है, जमहूर के कौल के मुताबिक एक साअ़ 1040 दिरहम का होता है जो पुरानी तौल में 273 तोला और नई तौल में 3 किलो 185 ग्राम और आधा साअ़ एक किलो 593 ग्राम होता है।

औक़िया— एक बांट है जो 40 दिरहम के बराबर होता है, ज़कात फर्ज होने के लिए चाँदी का निसाब 200 दिरहम, पुरानी तौल से 52 तोला 6 मासा, नई तौल में 612 ग्राम चाँदी।

ज़कात फर्ज़ होने के लिए सोने का निसाब 20 मिस्क़ाल, पुरानी तौल में 7 तोला 6 मासा, नई तौल में 87 ग्राम है।

वसक़— 60 साअ़ का होता है और एक साअ़ 1040 दिरहम के वजन का होता है और एक दिरहम 3.0618 ग्राम का होता है, इस तरह एक वसक 191 किलो 56 ग्राम का हुआ और 5 वसक 9 कुन्टल 55 किलो 280 ग्राम के बराबर हुए।

पाँच वसक का हिसाब इसलिए पेश किया गया कि अहनाफ के नज़दीक खेती में जितना भी गल्ला पैदा हो अगर सिंचाई से पैदा हुआ हो तो निस्फ़ उश्र यानी बीसवां हिस्सा और अगर बे सींचे गल्ला मिला है तो उश्र यानी दसवां हिस्सा ज़कात निकलेगी, लेकिन दूसरे बाज़ उलमा खास तौर से हनाबिला के नज़दीक एक रिवायत की बुनियाद पर पांच वसक यानी 9 कुन्टल 55 किलो 280 ग्राम से कम ग़ल्ला हो तो उस पर न उश्र है न निस्फ उश्र। यहाँ वसक़ का तौल बताना मकसूद है उश्र का मसअला बताना नहीं, लिहाजा अहनाफ हज़रात अपने मसअले पर अमल करें।

शेष पृष्ठ............40 पर

हमारी ग़फ़लत व बदअमली का नतीजा

—तसनीम फ़ातमा

आज मुसलमान जगह–जगह मारे जा रहे हैं यह सब हमारी गफ़लत और बदअमली का नतीजा है। मुसलमानों के लिए यह बड़ी कठिन आज़माइश है। आज़माइश नहीं बल्कि अल्लाह का अज़ाब है और हमारी करतूत का नतीज़ा है।

बाबरी मस्जिद के झगड़े की वजह से आए–दिन हंगामे और फसादात होते रहते हैं। मुसलमान भी बुरी तरह मारे जाते हैं। मुसलमानों को जो यह दिन देखने पड़े कि बाबरी मस्जिद पर दूसरों का क़ब्जा हुआ, मूर्ति रखी गई और उसके बाद कितने मुसलमान मारे गये। यह ग़लती हमने ही की है जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। वह गलती यह हुई कि इस मस्जिद को आबाद क्यों नहीं किया, अगर मस्जिद आबाद होती तो गैरों की हिम्मत पड़ती वहाँ मूर्ति रखने की? इस का ख़्याल तक न होता। होना तो यह चाहिए था कि बाहर से लोग जाकर वहाँ आबाद हो जाते और मस्जिद की रौनक़ बनते, लेकिन हुआ यह कि जो लोग वहाँ मौजूद थे वह भी मस्जिद छोड़ कर चले गये। अल्लाह ने फ़रमाया कि तुमने हमारे घर को वीरान किया हम तुम्हारे घर को बरबाद करेंगे। अगर मस्जिद में अल्लाह का नाम लिया जाता, नमाज़ें पढ़ी जातीं, तो वहाँ मूर्ति क्यों रखी जाती उनकी हिम्मत ही न पड़ती। जिस जगह अल्लाह का नाम लिया जाता है, क़ुर्आन की तिलावत होती है उस जगह की अल्लाह हिफाज़त फ़रमाता है। इसी ग़लती की वज़ह से आज हम को यह दिन देखने पड़े।

और अफसोस है कि अब भी मुसलमानों की आँखें नहीं खुलीं और अब भी मुसलमानों को यह तौफीक़ नहीं हो रही है कि अल्लाह के सामने झुकें, उसी की ओर ध्यान दें, उसी के सामने रोयें, उसी के सामने अपने कुसूर का एतराफ करें, यही हमारा मददगार हैं, अगर वह हम पर रहम न करेगा तो कोई हमको बचा नहीं सकता, अगर उसका हाथ हमारे सर पर होगा तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अल्लाह का रहम हम पर उस वक़्त तक हो नहीं सकता जब तक हम अपनी हालत को न बदलें, लेकिन अफसोस है कि आज यह बातें कहने वाला कोई नहीं है। अख़बार में ख़बरें प्रकाशित होती हैं, तबसरे होते हैं, लेकिन कोई यह कहने और लिखने वाला नहीं कि ऐसे हाल में मुसलमानों को क्या करना चाहिए और यह जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी ग़फलत और बदअमली का ही नतीजा है।

❖❖❖

इस तरह तलाक़ न हुई

—ज़हीर नियाज़ी रोहतासी

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ि0 की औलाद को जो खिलाफ़त मिली वह विश्व में अब्बासी खिलाफत कहलाई। इनकी हुकूमत ईराक में 509 वर्ष तक रही और मिस्र में 254 वर्ष तक। 763 वर्ष के इस शासनकाल में दो खलीफ़ा बहुत मशहूर हुए, हारून रशीद और उनका पुत्र मामून।

हारून रशीद का बाप मेंहदी 25.07.785 ई0 को मरा। उसी रात को मामून पैदा हुआ, और उसी रात हारून रशीद गद्दी पर बैठा।

हारून रशीद मलिका जुबैदा खातून को बहुत प्यार करता था। एक दिन हारून की जुबान से यह जुमला निकल गया कि अगर आज की रात तूने मेरी सल्तनत के बाहर गुज़ार ली तब तो तेरी ख़ैरियत है वरना तुझे तलाक़।

बोलने को तो बोल गया मगर शांत होते ही उसका बुरा हाल हुआ। इतनी बड़ी सल्तनत से बाहर मलिका कैसे जायेगी। उसके दरबार के सारे आलिम (धार्मिक विद्वान) भी यही बोले की दुनिया के सबसे तेज़ रफ़्तार घोड़े पर सवार होकर भी मलिका हारून की सल्तनत की सरहद को पार नहीं कर सकती। सुन कर हारून का ही नहीं मलिका जुबैदा का भी हार्टफेल होता महसूस हुआ। काज़ी अबू यूसुफ बाहर गए थे, लौटे तो शाम ढल चुकी थी। सुनकर बोले हाँ, खलीफा की शर्त पूरी नहीं की गई तो तलाक़ तो हो ही जाएगी। चिलमन में लगी जुबैदा रोने लगी। काज़ी अबू यूसूफ बोले 'रोयें नहीं तलाक़ नहीं होगी' आप आज रात खलीफ़ा की सल्तनत से बाहर ही गुजारेंगी। आलिम बोल पड़े, भला ऐसी कौन सी जगह है जो खलीफा की सल्तनत में नहीं, खलीफा जिसका मालिक नहीं? वो जगह है 'मस्जिद' काज़ी साहब बड़े इतमिनान से बोले। सब दंग रह गए। पूरी रात मलिका जुबैदा खातून ने मस्जिद में गुज़ारी। इस तरह तलाक़ नहीं हुई, निकाह टूटने से बच गया। ❑❑

प्रिय पाठको! सलाम मसनून

आपका प्यारा सच्चा राही आप की सेवा में बराबर भेजा जा रहा है, परन्तु बड़े खेद की बात यह है कि हमारे बहुत से पाठकों का वार्षिक चन्दा बाकी है, उनको बार-बार लिखा जा चुका है। कृप्या अपना चन्दा तुरन्त भेजें या न भेजने का कारण लिखें।

सम्पादक

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

—डॉ0 मुईद अशरफ़ नदवी

पाक इंजीनियर ने बनाई पानी से चलने वाली कार

पाकिस्तान के एक इंजीनियर ने पेट्रोल की जगह पानी से चलने वाली कार बनाई है, जिसने प्रत्यक्षदर्शियों को हैरत में डाल दिया है। पाकिस्तान के एक इंजीनियर वकार अहमद ने राजधानी इस्लामाबाद में सांसदों, वैज्ञानिकों और छात्र—छात्राओं के सामने अपनी अनोखी कार का प्रदर्शन किया।

वकार ने ईंधन के रूप में पानी का इस्तेमाल कर अपनी कार चलाई। उनका दावा था कि कारों को ईंधन के रूप में पेट्रोल और सीएनजी की जगह पानी का इस्तेमाल कर चलाया जा सकता है। पानी से चलने वाली इस कार को देखकर प्रत्यक्षदर्शी जहां अचंभित थे, वहीं मंत्रिमंडल की उप समिति ने इस 'वाटर फ्युल किट प्रोजेक्ट' की प्रशंसा की। उप समिति की अध्यक्षता करने वाले धार्मिक मामलों के मंत्री सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि इंजीनियर को समिति का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि पानी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाली यह प्रणाली एक ऐसी तकनीक है, जिसमें 'हाइड्रोजन बांडिंग' और आसवित जल से निर्मित हाइड्रोजन गैस से कार चलाई जाती है।

अहमद ने पहले खुर्शीद शाह को अपनी अनोखी खोज के बारे में बताया था। फिर इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास ले जाया गया, जहां उप समिति द्वारा इस पर विचार किए जाने के लिए कहा गया।

कहाँ कितने मोबाइल उपभोक्ता-

यूपी—उत्तराखंड	122343757
हरियाणा	21737317
पंजाब	31298581
मध्यप्रदेश	49818089
राजस्थान	46723854
दिल्ली	41198673

❖❖❖

कुछ इस्लामिक माप ....

सफर की मसाफत (दूरी) जिसमें नमाज की कस्र की जाती है और औरत महरम के बिना सफ़र नहीं कर सकती 48 मील अंग्रेज़ी है, जिसकी बराबरी नये नाप में 77 किलो मीटर 250 मीटर है यानी 77 और 78 किलो मीटर के बीच की दूरी सफर की मसाफ़त कहलाएगी।

यह नाप—तौल की तमाम मालूमात मुफ़्ती मुहम्मद शफी की जबाहिरूल फिक़्ह और पुराने पैमाने से नये पैमानों में तब्दीली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और सर्राफ के किताबचे से हिसाब बना कर लिखी गई है, भूल—चूक को अल्लाह मुआॅफ करे और जानकार हज़रात कोई गलती पाएं तो मेहरबानी करके जानकारी दें, इन्शाअल्लाह उसे ठीक कर लिया जाएगा।

❖❖❖